कामकाजी महिला

वर्ष 2 अंक 2 फरवरी, 1990 मूल्य : एक रुपया

कामरेड सरोज मुखर्जी नहीं रहे

अखिल भारतीय कामकाजी महिला समन्वय समिति, कामरेड सरोज मुखर्जी के निधन पर गहरा शोक प्रकट करती है। सी पी आइ (एम) के पोलिट ब्यूरो के सदस्य, कामरेड सरोज मुखर्जी का देहांत लंबी बीमारी के बाद गत 10 फरवरी, 1990 को कलकत्ता में हो गया। कामरेड सरोज मुखर्जी, पार्टी की पश्चिम बंगाल राज्य कमेटी के सचिव और राज्य के वाम मोर्चे के अध्यक्ष थे। वह 79 वर्ष के थे।

कामरेड सरोज मुखर्जी एक विलक्षण कम्युनिस्ट नेता थे, जिनका राजनीतिक जीवन 13 वर्ष की आयु में विद्यार्थी काल से ही शुरू हो गया था। उनका जन्म 15 जनवरी, 1911 को हुआ था और 1924 में वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गये। इसके बाद उनका संपर्क युगांतर क्रांतिकारी ग्रुप से हुआ।

1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उन्हें जेल में डाल दिया गया। नजरबंदी के दौरान ही उन्होंने बी एस सी की परीक्षा विशेष योग्यता के साथ उत्तीर्ण की। विद्यार्थी जीवन के दौरान ही वह, मुजफ्फर अहमद और अब्दुल हलीम जैसे कम्युनिस्ट नेताओं से परिचित हो गये।

जेल से रिहा होने के बाद उन्होंने 1931 में एक डेलीगेट के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में शिरकत की। कलकत्ता लौटने के बाद वह ईस्ट बंगाल रेलवे वर्कर्स यूनियन में शामिल हो गये। सितम्बर 1931 में उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। 1938 में जेल से छूटने के बाद वह कम्युनिस्ट पार्टी के लिए होलटाइमर के रूप में काम करने लगे। 1940 में उन्होंने कनक मुखर्जी से विवाह किया और दोनों ने अपना पूरा

[शेष पृष्ठ 24 पर]

राष्ट्रीय महिला आयोग

मानव संसाधन मंत्रालय ने विभिन्न महिला संगठनों, समूहों और व्यक्तियों को महिलाओं के लिए एक आयोग के गठन हेतु बातचीत करने के लिए 5 फरवरी को एक सभा बुलाई। सभा में योजना आयोग के सदस्य, सुश्री ईला भट्ट और श्री जे० डी० सेठी, जिन्होंने सभा की अध्यक्षता भी की, भी आए थे। मंत्रालय के महिला और बाल विकास-विभागों के कुछ सदस्य भी मौजूद थे। महिला संगठनों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे—ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वीमेन्स एसोसिएशन, महिला दक्षता समिति, ज्वाइन्ट वीमेन्स प्रोग्राम, नैशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वीमेन, सेन्टर फौर वीमेन्स डेवलपमेंट स्टडीज, सहेली, कमिका और कई अन्य। इन्दिरा जयसिंह, रानी जेठमलानी और कीर्ति सिंह (जो एड्वा की दिल्ली इकाई की उपाध्यक्षा भी हैं) जैसी वकील भी आमंत्रित की गई थीं। एड्वा का प्रतिनिधित्व महासचिव सुशीला गोपालन और संयुक्त सचिवा वृन्दा करात ने किया। कामरेड सुभाषिनी अली, सी० पी० आई० (एम) भी आमंत्रित की गई थीं, जो वस्तुत: वहां उपस्थित एकमात्र महिला सांसद थीं।

चूंकि प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय महिला आयोग के गठन की घोषणा पहले ही कर दी थी अतः उसकी प्रस्तावित शक्ति एवं कार्य पर बहस होनी थी। एड्वा प्रतिनिधि ने अन्य प्रतिनिधियों को स्पष्ट कर दिया था कि यदि आयोग को संवैधानिक अधिकार नहीं दिए जाते, तो इससे अच्छा आयोग का नहीं होना ही है। इस महत्वपूर्ण बिंदु पर तमाम संगठनों और व्यक्तियों की यही राय थी। इसलिए जब अध्यक्ष श्री जे० डी० सेठी ने उद्घाटन भाषण दिया तो प्रतिनिधिगण काफी निराश हुए, चूंकि सेठी ने संवैधानिक अधिकारों की चर्चा भी नहीं की, केवल कमेटी की कार्य पद्धति के दूसरे पहलुओं पर तफसील से बात करते रहे। उनके भाषण से ऐसा लगा कि वे कमेटी को शोध और सलाहकार निकाय के रूप में देखते हैं। प्रतिक्रिया-स्वरूप प्रमिला दंडवते ने कहा कि संवैधानिक शक्ति पर

[शेष पृष्ठ 24 पर]

इस अंक में

कामरेड सरोज मुखर्जी नहीं रहे	1
राष्ट्रीय महिला आयोग	2
जनवादी महिला समिति की केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक	3
कामकाजी महिलाओं को समान अवसरों के लिए सीटू की मांग	5
आंगनवाड़ी महिलाएँ : गतिविधियाँ	6
एल० आई० सी० कामकाजी महिलाएँ	7
एयर इण्डिया होस्टेसेज एसोसिएशन ने सुश्री ज़रीना और अरुणा की पुनर्नियुक्ति की मांग	8
न कोई कानून न कोई सुविधा	9
समान मज़दूरी के लिए वंचित हैं खेत मज़दूरिनें	14
गर्भवती महिलाओं को अस्वस्थ मानना पुरातनता है	15
दिल्ली की नर्सों का संघर्ष	17
अफगानिस्तान की रक्षा में महिलाओं की सक्रिय भूमिका	18
पाकिस्तानी महिलाओं को निराश करतीं बेनजीर	20
जापान में कामकाजी महिलाओं की स्थिति	23
ईरान की महिला राजनीतिक बंदियों को रिहा करो	23

सीटू के अखिल भारतीय कामकाजी महिला समन्वय समिति के लिए विमला रणदिवे की ओर से 6, तालकटोरा रोड, नई दिल्ली-110001, (फोन नं० 384071) से सम्पादित और प्रकाशित तथा प्रोग्रेसिव प्रिंटर्स, ए-21 झिलमिल इंडस्ट्रीयल एरिया, शाहदरा, दिल्ली में मुद्रित।

जनवादी महिला समिति की केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक

विजयवाड़ा (आंध्रप्रदेश) में 25 से 27 जनवरी तक आयोजित अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की केन्द्रीय कार्यकारिणी बैठक ने अगले मई/जून तक पश्चिम बंगाल में अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन करने का फैसला लिया है। बैठक ने 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सारे देश में स्वतंत्र रूप से और जहां कहीं संभव हो अन्य संगठनों के साथ संयुक्त रूप से मनाने का भी फैसला लिया है। इस वर्ष "कन्या शिशु बचाओ वर्ष" को समुचित ढंग से विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम मनाने का भी निर्णय लिया गया।

बैठक ने महासचिव की रिपोर्ट को पारित किया। संगठन को आगामी दिनों के संघर्ष के लिए चुस्त-दुरूस्त करने के लिए कई फैसले भी लिए गए।

महासचिव की रिपोर्ट का सार

भ्रष्ट राजीव सरकार के पतन और तत्पश्चात् वि० प्र० सिंह के नेतृत्व में नई सरकार के गठन के बाद केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति नई परिस्थितियों की समीक्षा करने और नए संदर्भों में अपनी रणनीति तय करने के लिए मिली। नई सरकार को बधाई देकर उभरी जनाकांक्षाओं से उसे अवगत कराते हुए रिपोर्ट ने चुनाव के दौरान हुई भयंकर हिंसा और सांप्रदायिक बलवों पर चिंता व्यक्त की। एड्वा ने जनविरोधी कांग्रेस सरकार के खिलाफ पिछले दो वर्षों से संघर्ष छेड़ रखा था। इस संदर्भ में पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा के साथियों ने सराहनीय भूमिका अदा की है।

एड्वा ने इस मौके पर उस व्यापक जनसमूह को भी साधुवाद दिया, जिसके एक प्रमुख अंश महिलाओं ने इंदिरा महिला रोजगार योजना जैसे कांग्रेसी मोहजाल में फंसने से इन्कार करके राजीव सरकार को चुनावी शिकस्त दी।

महिलाओं के दृष्टिकोण से नए संदर्भ में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक संभावनाओं के द्वार खुले हैं। रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद जैसे मुद्दों पर तथा मजदूरों, किसानों, बुद्धिजीवियों के साथ जनवादी तौर पर मशविरा कर नीतियों को तय करने की प्रक्रिया की शुरूआत करके सरकार ने शुभ आरम्भ किया है। सरकार रेडियो/दूरदर्शन संचार तंत्रों को स्वायत्तता देने और यूनियनों की मान्यता के लिए गुप्त मतदान के प्रावधान कराने के लिए कटिबद्ध दीखती है। एक राष्ट्रीय महिला आयोग भी गठन की प्रक्रिया में है।

फिर भी यह तथ्य है कि पिछली सरकार के प्रतिगामी कदमों का बोझ गुरुतर है। विदेशी कर्ज का बाहुल्य इसे कर्ज जाल में फंसाने के कगार पर है। खजाने भी खाली ही मिले हैं विरासत में। मूल्य वृद्धि, बेरोजगारी और भूमि सुधारों की आम पुकार सरकार के सामने मुंह फाड़ती कुछ ऐसी ही विशाल समस्याएं हैं। इनके लिए युद्ध स्तर पर प्रयास छेड़ने होंगे।

इन संदर्भों में जनसंगठन और नीति-निर्देशकों की मानसिकता निर्धारित करने वाले व्यक्तियों के रूप में महिलाओं की भूमिका अहम हो जाती है। सरकार की सदिच्छा के बावजूद, अमूमन महिलाओं से संबद्ध मुद्दे हाशिए पर चले जाते हैं, या खानापूरी की रस्मी प्रक्रिया के तौर पर उठाए जाते हैं। इस तरह काम के अधिकार को संवैधानिक मुहर दिलवाने के बाद भी यदि महिला रोजगार पर सरकारी रवैया नहीं बदला, तो प्रभाव निरर्थक होगा। एतमेव महिलाओं की स्थिति में प्रशंसनीय परिवर्तन के लिए हर स्तर पर प्रचार करने और नई सरकार द्वारा प्रारम्भ की गई संवाद की प्रक्रिया में शिरकत की जरूरत है। अपनी जरूरतों और मांगों को जन समर्थन के आधार पर बार-बार रेखांकित किए बिना महिला अधिकारों की लड़ाई के पक्ष में बन रहे माहौल की क्षमताओं का पूरा दोहन नहीं हो पाएगा।

वर्तमान परिस्थिति के विश्लेषण में दो प्रमुख पहलू उभरते हैं—कांग्रेस पार्टी अपनी रची समस्याओं के समाधान की अब शुरू हुई प्रक्रिया में हर संभव खलल डालना चाह रही है। यह अपने आपको महिला अधिकारों की प्रवक्ता के रूप में फिर से चित्रित करना चाह रही है। एड्वा की हरेक इकाई को इस ढोंग के पर्दाफाश और कांग्रेसी षड्यंत्रों को नाकामयाब करने का प्रयास करना होगा।

दूसरा पहलू है सांप्रदायिकता रूढ़िवाद और जातिवाद की अभूतपूर्व एवं भयानक वृद्धि। एड्वा इस खतरनाक विकास के खिलाफ सतत संघर्षशील रही है। पिछले चुनावों में धार्मिक मुद्दों पर कांग्रेस और भाजपा द्वारा किए गए खुल्लमखुल्ला चुनाव-प्रचार से इन तत्वों को बढ़ावा मिला है। इस उत्साह को वे आगामी विधानसभा चुनावों में भंजाएंगे। महाराष्ट्र में शिवसेना भाजपा गठबंधन के महत्व को नजर अंदाज करना मूर्खता होगी, चूंकि वे जीतें या हारें, वे अल्पसंख्यक विरोधी, दलित विरोधी, सांम्प्रदायिक खाईयां खोदने वाले तत्व निर्विवाद तौर पर हैं। इन्हीं के षडयंत्रों का नतीजा है भागलपुर जैसी जगहों पर हुए नरसंहार, जहां अल्पसंख्यक समुदाय के महिलाओं-बच्चों सहित हजारों व्यक्तियों को, कांग्रेस प्रशासन और पुलिस की मिलीभगत में, मौत के घाट उतार दिया गया। मन्दिर-मस्जिद विवाद पर आर० एस० एस०, विश्व हिंदू परिषद तथा भाजपा के जहरीले विष बोने से ही हिंसा और नफरत की ऐसी फलें काटी जा रही हैं।

धर्म के राजनीतिक हथियार के रूप में प्रयोग के विध्वंसकारी नतीजे हुए हैं। ये तत्व प्रत्यक्ष तौर पर महिला अधिकारों का हनन करते हैं। वे शोध और पठन-पाठन के क्षेत्र में भी इस असहिष्णुता को विस्तार दे रहे हैं। महिलाओं की सच्ची धार्मिक भावनाओं को विकृत निरूपणों के आधार पर सांप्रदायिक झंडे के नीचे लामबंद किया जा रहा है। उदाहरण के तौर पर जम्मू एवं कश्मीर के अलगाववादी, पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी आंदोलन में महिलाओं को भी इस्लाम के नाम पर लामबंद किया जा रहा है और ये महिलाएं ही दूसरी औरतों को बुर्का पहनने के लिए धमकियां दे रही हैं। उसी तरह महाराष्ट्र में उच्च जाति की महिलाओं को दलित महिलाओं पर हल्ला बोलने के लिए जुटाया जा रहा है। रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद के मामले में भी महिलाओं की धार्मिक भावनाओं को भड़काया गया। इस प्रकार अपनी एकता और अधिकार की लड़ाई के संदर्भ में रूढ़िवाद और सांप्रदायिकता के विरुद्ध लड़ाई महिलाओं की प्रत्यक्ष हिस्सेदारी की मांग करती है।

महिला समता और धर्मनिरपेक्षता के संघर्ष की राह पर बढ़ने के लिए फौरी कार्रवाई और रणनीति तय करते समय इन प्रमुख कारकों को ध्यान में रखना होगा। लामबंदी अब जनवादी और धर्मनिरपेक्ष विशाल महिला-समूह से करनी होगी, ताकि कांग्रेस (इ) अपने आपको इनकी जरूरतों का फायदा अपने आप को मजबूत बनाने में न करे और दूसरे, महिलाएं रूढ़िवाद, जातिवाद और सांप्रदायिकता की प्रतिगामी धाराओं में न बहें। सकारात्मक तौर पर उन्हें इन्हीं तत्वों के खिलाफ भी गहरे संघर्ष का आयोजन करना है। इस संदर्भ में लोकसभा एवं विधानसभा के चुनाव क्षेत्र, फैजाबाद, जो मंदिर-मस्जिद के विवाद का केन्द्र है, में वामपंथी उम्मीदवार की विजय एक उत्साहवर्द्धक घटना है।

केन्द्रीय कार्यकारिणी ने अपनी तमाम इकाईयों और सदस्याओं से आह्वान किया कि वे वर्तमान स्थिति की संभावनाओं और खामियों पर अपनी स्पष्ट समझ बनाकर महिलाओं के विस्तृत हलकों को लामबन्द करें, ताकि प्रगति, और सामाजिक एवं आर्थिक विकास की दिशा में चल रहे संघर्ष का पलड़ा अपने पक्ष में झुके।

फार्म IV

1. प्रकाशन का स्थान	— 6, तालकटोरा रोड, नई दिल्ली-110001
2. प्रकाशन की अवधि	— द्विमासिक
3. मुद्रक का नाम	— विमला रणदिवे
क्या भारतीय नागरिक है?	— हां
पता	— 6, तालकटोरा रोड, — नई दिल्ली-110001
4. प्रकाशक का नाम	— विमला रणदिवे
क्या भारतीय नागरिक है?	— हां
पता	— 6, तालकटोरा रोड, नई दिल्ली-110001
5. संपादक का नाम	— विमला रणदिवे
क्या भारतीय नागरिक है?	— हां
पता	— 6, तालकटोरा रोड, नई दिल्ली-110001
6. उन व्यक्तियों के नाम व पते जो समाचार पत्र के स्वामी हैं तथा जो समस्त पूंजी के एक प्रतिशत से अधिक के साझेदार या हिस्सेदार हैं	— सेंटर ऑफ इण्डियन ट्रेड यूनियन, 6, तालकटोरा रोड, नई दिल्ली-110001

मैं, विमला रणदिवे एतद् द्वारा घोषित करती हूं कि मेरी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार ऊपर दिए गए विवरण सही हैं।

हस्ता./-

दिनांक : 15-2-1990 विमला रणदिवे, प्रकाशक

कामकाजी महिलाओं को समान अवसरों के लिए सीटू की मांग :

सीटू सेक्रेटेरियट के का० पी. के. गांगुली, कनई बनर्जी और विमल रणदिवे का एक शिष्टमंडल 27 दिसंबर, 1989 को महिलाओं सहित मजदूर वर्ग के फौरी मसलों पर ज्ञापन देने के लिए केन्द्रीय श्रम मंत्री श्री रामविलास पासवान से मिला। कमरेड पी.के. गांगुली ने आंगनवाड़ी महिलाओं के पलायन समेत पूरे देश की कामकाजी महिलाओं के विशिष्ट मसलों को मंत्री जी के सामने रखा।

सीटू ने ज्ञापन में बताया कि देश की श्रम-शक्ति का अच्छा-खासा हिस्सा होने के बावजूद कामगार महिलाओं को दयनीय स्थिति में जिंदगी गुजारनी पड़ रही है। बेकारी तथा रोजगार के अवसरों के अभाव के अलावा, मालिकान के हमलों, छंटनी आदि का पहला शिकार महिलाएं ही होती हैं। उन्हें रोजगार, सेवाओं तथा सेवा शर्तों के मामले में, बड़े पैमाने पर भेदभाव का शिकार होना पड़ता है। मातृत्व लाभ, पालनघर आदि की उनकी विशेष समस्याओं पर अक्सर ध्यान ही नहीं दिया जाता है। समान मजदूरी, रोजगार आदि से सम्बन्धित कमेटियां काम ही नहीं करती हैं। समान वेतन कानून को समुचित ढंग से लागू नहीं किया जा रहा है। इस सबके ऊपर से, कामगार महिलाओं का यौन-शोषण एक आम बात ही हो गयी है।

असंगठित क्षेत्र में तो कामगर महिलाओं की हालत और भी बुरी है। समन्वित बाल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यरत आंगनवाड़ी सेविकाओं को 100 से 200 रु. तक की नाम मात्र को ही मजदूरी मिल रही है। उन्हें समाज सेविकाओं के रूप में स्वीकार किये जाने के बावजूद, सरकार उन्हें सरकारी कर्मचारी मानने के लिए तैयार नहीं है और इस कामगार महिलाओं के इस खासे बड़े हिस्से को न्यूनतम मजदूरी, श्रम कानूनों के लाभों से वंचित रखा जा रहा है। इस सिलसिले में, सीटू के नेतृत्व में आंगनवाड़ी महिलाओं के लिए जन-प्रतिनिधिमंडल ने पिछले प्रधानमंत्री से मुलाकात कर उन्हें अपनी मांगों का एक ज्ञापन भी दिया था, लेकिन दुर्भाग्य से उन्होंने इन

[शेष पृष्ठ 7 पर]

कामरेड शादीराम नहीं रहे

दिल्ली ट्रेड यूनियन आंदोलन के वयोवृद्ध नेता कामरेड शादीराम के निधन पर अखिल भारतीय कामगार महिला समन्वय समिति अपने गहरे शोक का इजहार करती है। उनका 27 दिसंबर को निधन हो गया, वह 80 वर्ष के थे। प्यार से चाचा के नाम से जाने जाने वाले का० शादीराम सी.पी.-आई.(एम) की दिल्ली राज्य कमेटी के सदस्य और सीटू की दिल्ली राज्य कमेटी के अध्यक्ष थे। वह 1945 में अविभाजित कम्युनिस्ट पार्टी की राज्य कमेटी के सदस्य बने थे।

का० शादीराम ने नगर निगम में एक मजदूर की हैसियत से ट्रेड यूनियन का काम शुरू किया था और अंत में नगर पालिका कर्मचारियों की यूनियन के प्रमुख नेता की हैसियत तक पहुंचे। 1948-50 के दौर में उन्हें जेल में डाला गया और फिर 1965 में तथा एमर्जेन्सी के दौरान भी गिरफ्तार किया गया।

1964 में पार्टी के विभाजन के समय वह सी.पी.आई.(एम) में शामिल हुए और दिल्ली में पार्टी के पुर्नगठन में तथा सीटू की स्थापना में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की।

एक मजदूर नेता के रूप में का० शादीराम दिल्ली के मजदूरों में बहुत ही लोकप्रिय थे। वह एक ऐसे साथी थे, जिनका सारा जीवन पार्टी तथा मजदूर वर्ग के लक्ष्यों के लिए समर्पित था, और इसके लिए उनके परिचित सारे लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। पिछले दो साल से स्वास्थ्य खराब रहने के कारण वह पार्टी और ट्रेड यूनियन काम में उतना योगदान नहीं कर पा रहे थे, जितना कि वह चाहते थे। अखिल भारतीय कामगार महिला समन्वय समिति उनकी याद में लाल झंडा झुकाती है और उनके परिवारजनों के साथ हार्दिक संवेदना व्यक्त करती है।

आंगनवाड़ी महिलाएं : गतिविधियां

उदयपुर

आंगनवाड़ी महिला कामगार यूनियन की जिला कमेटी ने 22 दिसंबर को जिलाधिकारी कार्यालय पर धरने का आयोजन किया। धरने में दूर-दराज से आयीं 110 महिलाओं ने भाग लिया। भ्रष्ट परियोजना अधिकारी तथा उपनिदेशक के आदेशों के मुताबिक धरने में शामिल होने आ रही महिलाओं को जबरन रोका गया। मावली, झाड़ौल, गोगुंदा, केसरियाजी और सलुंबर से आने वाली महिलाओं को नौकरी से निकालने की धमकियां दी गईं और उन्हें बसों से उतारा गया। इस भारी दमन के बावजूद महिलाओं ने धरने में भाग लिया।

धरने पर बैठी कार्यकर्त्ताएं दिन भर अपनी समस्याओं को पूरा करने के नारे लगा रही थीं। इसके अलावे वे स्वरचित नारा—"गांव-गांव में पट्टों पर लिखा जाय औरत का नाम, सती को किसने सही बताया, औरत को जिन्दा जलवाया" भी लगा रही थीं।

धरने के बाद जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया गया। उन्होंने आश्वासन दिया कि उपनिदेशक से सारी जानकारी लेकर, वह जल्द ही यूनियन के प्रतिनिधियों से बातचीत करेंगे।

9, 10, 11 जनवरी—आंगनवाड़ी महिला कामगार यूनियन की कार्यकर्ताओं ने झूठे आरोपों को निरस्त कर कार्यकर्ताओं को वापस काम पर लगाने की मांग को लेकर यूनियन की ओर से क्षेत्रीय उपनिदेशक का घेराव किया। द्रष्टव्य है कि इस इलाके में यूनियन के अगुआ कार्यकर्ताओं को शाम, दंड, भेद आदि का इस्तेमाल कर शोषण का शिकार बनाया जा रहा है। प्रदर्शन, घेराव और जुलूस की कार्रवाइयों के पश्चात् रासमंद से निष्कासित श्रीमती राजम्मा जॉर्ज और पुष्पा पंचोली को 8 जनवरी को उपनिदेशक कार्यालय पर बुलाया गया। वहां मुलाकात नहीं होने पर 60 यूनियन कार्यालय एकत्रित होकर आई.सी.डी.एस. के उपनिदेशक के पास पहुंचे। वहां उनके ऊपर हिसात्मक कार्रवाई की गई। उसके बाद करीब 10 प्रतिनिधि जिलाधीश से मिले। अपनी मांगों का विस्तृत ब्यौरा देने वाला एक ज्ञापन जिलाधीश को दिया गया।

अध्यक्षा पुष्पा शर्मा ने अंत में प्रतिनिधिमंडल के चार महीने की लगातार लड़ाकू कार्रवाई की सराहना करते हुए तथा उपनिदेशक के अभद्र व्यवहार की भर्त्सना करते हुए अपनी एकता को मजबूत बनाए रखने के संकल्प को दुहराया।

चित्तौड़गढ़

आंगनवाड़ी महिला कामगार यूनियन चित्तौड़गढ़ की जिला कमेटी का सम्मेलन 31 दिसंबर को संपन्न हुआ। सम्मेलन स्थल था प्रतापगढ़ सेठाणी धर्मशाला और सम्मेलन की अध्यक्षता की श्रीमती कल्पना व्यास ने। शुरूआती भाषण में पूर्व यूनियन के संरक्षक श्री व्यास जी ने चित्तौड़गढ़ यूनियन के प्रस्ताव पेशकर उदयपुर जिला कमेटी से संबन्धित होकर डिविजनल ईकाई के रूप में काम करने का प्रस्ताव व अखिल भारतीय आंगनवाड़ी वर्कर्स एण्ड हेल्पर्स फेडरेशन से एफिलिएटेड रहने का प्रस्ताव सभी प्रतिनिधियों के बीच रखा। यूनियन के पूर्व नाम "आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ता संघ" को बदलकर आंगनवाड़ी महिला कामगार यूनियन कर देने का प्रस्ताव रखा गया। प्रस्ताव ध्वनिमत से पारित हुए।

प्रस्तावोपरांत उदयपुर कमेटी के सचिव वी. एस. छानवाल ने उद्घाटन भारण करते हुए गतिविधियों पर एक रिपोर्ट रखी तथा प्रतिनिधियों को प्रस्ताव पारित करने पर बधाई दी। तत्पश्चात स्थानीय कार्यकर्ताओं ने अपनी समस्याओं की झड़ी लगा दी। भ्रष्टाचार, धमकी, वेतन कटौती आदि उनकी प्रमुख समस्याएं थीं।

श्री छानवाल ने इन सब समस्याओं को दूर करने के लिए आपसी एकता को मजबूत कर सामूहिक रूप से अधिकारी से मिलने व बात करने, मांग पत्र की कॉपी उदयपुर व दिल्ली फेडरेशन के पास देने की सलाह दी। प्रदर्शन, घेराव आदि कार्रवाइयां कर अपनी मांगों को मनवाने का आह्वान किया गया।

इसके बाद कमेटी के चुनाव हुए जिसमें 21 सदस्य रखे गये। अध्यक्षा कल्पना व्यास, महासचिव राजकुमारी और कोषाध्यक्ष निर्मला तोमर चुनी गईं। समापन भाषण

उदयपुर कमेटी की अध्यक्षा श्रीमती पुष्पा शर्मा ने दिया।

सहारनपुर

नागल ब्लॉक की महिला सर्व सेवा समिति एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्मियों की अध्यक्षा सरला शर्मा की अध्यक्षता में 3.1.90 को सैकड़ों कार्यकर्मियों की एक सभा हुई। इसमें 1990 का जिला सम्मेलन 10 फरवरी को आयोजित करने का निश्चय किया गया।

लालफीताशाही, नेता और हमारे अधिकार

सीटू की राजस्थान राज्य कमेटी, उदयपुर के मंत्री आयलदास पी. एल. सागर ने एक पत्र लिखकर केन्द्र से वहां के अधिकारियों के नौकरशाही अड़ंगों की शिकायत की है। वस्तुतः उन्होंने आंगनवाड़ी महिलाओं की यूनियन रजिस्टर्ड करने के लिए ट्रेड यूनियन के अतिरिक्त रजिस्ट्रार को स्पष्ट कागजात करीब तीन महीने पहले जमा कर दिए थे। लेकिन मामला श्रम कल्याण अधिकारी, लेबर कमिश्नर और बाबूओं की मनमानी में फंसकर रह गया है। कानूनी दलीलों, निवेदनों का उन पर कोई असर पड़ता नहीं दीखता। राजस्थान की कांग्रेस सरकार इस रजिस्ट्रेशन को रोकने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है। पर्यटन मंत्री गिरिजा व्यास जो 'दुर्भाग्यवश' वहां की विधायिका भी हैं, इस मामले को टालने में अपना पूरा योगदान दे रहीं हैं। स्थानीय कार्यकर्त्ताओं ने विक्टिमाईजेशनों के बावजूद अपनी लड़ाई जारी रखी है। उन्होंने प्रधानमंत्री और श्रममंत्री को आवेदन भेजा है।

[पृष्ठ 5 का शेष]

मांगों पर विचार करने से ही इनकार कर दिया था।

श्रम मन्त्री से इस मामले में खासतौर पर हस्तक्षेप करने और आंगनवाड़ी महिलाओं तथा कामगार महिलाओं के अन्य हिस्सों की हालत सुधारने के लिए कदम उठाने का आग्रह करते हुए, सीटू ने अपने ज्ञापन में कहा है कि सिर्फ इसी तरह उन्हें हरेक लिहाज से अन्य मजदूरों के साथ बराबरी का दर्जा दिलाया जा सकता है और उनकी विशेष समस्याओं तथा मांगों का हल किया जा सकता है।

प्रधान मंत्री श्री विश्वनाथ प्रतापसिंह ने राष्ट्र के नाम अपने पहले प्रसारण में महिलाओं की बेहतरी का वादा किया था। महिलाओं की स्थिति पर आयोग बिठाने की महिला संगठनों की बहुत पुरानी मांग भी मान ली गई है।

एल० आई० सी० कामकाजी महिलाएँ

काम का अधिकार मौलिक है

एल. आई. सी. में कार्यरत महिला कर्मचारियों के 28 जनवरी 1990 को थंजावुर में हुए अधिवेशन में मांग की गई कि काम के अधिकार को भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में सन्निहित किया जाय, क्योंकि बंदी या छंटनी का पहला शिकार महिलाएं ही होती हैं।

उद्घाटन भाषण करते हुए, श्रीमति हेमा ने कहा कि आधुनिकीकरण और मशीनीकरण ने महिलाओं को, चूंकि वे सबसे ज्यादा असंगठित हैं, दुष्प्रभावित किया है। उनकी नौकरी तो अंत में मिलती है, पर उन्हें निकाला सबसे पहले जाता है।

थंजावुर विभाग के इंश्योरेंस कॉरपोरेशन एंप्लाई यूनियन के अध्यक्ष श्री एल० लक्ष्मणन ने लालफीताशाही के महिला-विरोधी रवैये से लड़ने के लिए कमर कसने की अपील की।

इस सम्मेलन में थंजावुर, पुडुकोट्टाई और त्रिची जिलों में कार्यरत 63 महिला कर्मचारियों ने भाग लिया। मांगों के चार प्रस्ताव ध्वनिमत से पारित हुए:— (1) केन्द्रीय सरकार काम के अधिकार को संविधान का मौलिक अधिकार बनाए (2) सभी शहरों में कामकाजी महिला छात्रावास बनाए जाएं, (3) सारे कार्यालयों और उपक्रमों में पालना-सुविधाएं दी जाएं और (4) सभी एल. आई. सी. कार्यालयों में स्वतंत्र शौचालय, विश्रामकक्ष तथा महिला कर्मचारियों को लाने ले जाने के लिए अलग बसों की व्यवस्था की जाए।

थंजावुर डिवीजन के महासचिव श्री एस. आर. कृष्णामूर्ति ने अधिवेशन को संबोधित करते हुए कहा कि वे फौरी हल की दिशा में इन समस्याओं को प्रबंधन के सामने रखेंगे।

का० विमल रणदिवे ने श्रममंत्री को सूचित किया कि श्री राजीव गांधी ने 19 नवम्बर को आंगनवाड़ी महिलाओं के साथ अपनी सभा में उन्हें स्थायी कर्मचारी का दर्जा देने और उनकी वेतन वृद्धि का वादा किया था, जो टॉय-टॉय फिस्स हो गया है। पूरे शिष्टमंडल की ओर से कामकाजी महिलाओं की ज्ञापन में व्यक्त समस्याओं पर सकारात्मक विचार करने के लिए आग्रह किया गया।

श्रममंत्री श्री रामविलास पासवान ने कामकाजी महिलाओं की समस्याओं पर विचार करने का वादा किया।

एयर इंडिया होस्टेसेज एसोसिएशन ने सुश्री ज़रीना और अरुणा की पुर्ननियुक्ति की मांग की

ए.आई.एच.ए. ने निम्नांकित पत्र नागरिक उड्डयन मन्त्री, भारत सरकार श्री आरिफ मोहम्मद खान को लिखा और उनसे मांग की कि वे उनके खिलाफ भेदभाव को बरकरार रखने वाले बाकी मुद्दों को हल करें। विमान-परिचारिकाओं को मन्त्री जी ने धैर्यपूर्वक सुना और उन्हें न्याय दिलाने का वायदा किया।

विषय : विभाग परिचारिकाओं की समस्यायें : विक्टिमाइजेशन और भेदभाव

महोदय,

विक्टिमाइजेशन और भेद-भाव की नीति के तहत एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के प्रबंधकों ने जिन अग्रांकित मुद्दों को हम पर लादा है, हम आपसे हस्तक्षेप और उनके समाधान का आग्रह करते हैं।

1. विमानचारिकाओं का 35 वर्ष की आयु के बाद मेडिकल परीक्षण :—तीन दशकों तक सौतेला व्यवहार झेलने के बाद एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस की विमान परिचारिकाओं को समान सेवानिवृत्ति की आयु की राहत, संसदीय पेटीशन्स कमेटी की अनुशंसा पर भारत सरकार के द्वारा, दी गई। हलांकि सरकार और पेटीशन्स कमेटी ने 35 वर्ष के बाद अनिवार्य मेडिकल परीक्षण की अनुशंसा नहीं की थी, फिर भी दोनों विमान सेवा—प्रबंधनों ने यह शर्त हम पर लादने का निर्णय किया है। पुरुष केबिन कर्मचारी, जो उन्हीं स्थितियों में काम करते हैं, के लिए यह अनिवार्यता नहीं है। यह भेदपरक है और पूरी तरह लिंग पर आधारित है।

2. एयर इन्डिया की विमान परिचारिका सुश्री ज़रीना मेहता की पुर्ननियुक्ति—एन्न्चुइटी एग्रीमेंट की धारा 4 की शर्तों के मुताबिक, एयर इन्डिया की सुश्री ज़रीना मेहता को 18-11-85 से मेडिकल आधारों पर कॉरपोरेशन की सेवा से निवृत कर दिया गया। इस समझौते के अनुसार स्वस्थ होने पर वह अपनी सेवा फिर से शुरू कर सकती थीं। इस संदर्भ में एयर इंडिया से कई बार निवेदन किया गया है, तथा एयर इन्डिया की विशेषज्ञ-मंडली सहित, मेडिकल विशेषज्ञों ने उन्हें स्वस्थ घोषित कर दिया है। लेकिन एयर इन्डिया न तो उनके निवेदनों का उत्तर दे रहा है और न ही उन्हें उड्डयन काम पर ले रहा है। एक वर्ष से ज्यादा बीत गया है और वह अभी भी पुर्ननियुक्ति का इन्तजार कर रही हैं।

3. एयर इन्डिया की परिचारिका सुश्री अरूणा अवारे की पुर्ननियुक्ति :—एयर इन्डिया की अरूणा अवारे को सेवा प्रारम्भ के तीन वर्षों के अंदर ही शादी कर लेने के अभियोग में जबर्दस्ती सेवा-निवृत कर दिया गया। जब बंबई उच्च न्यायालय ने इस जबर्दस्ती की निवृत्ति को नामन्जूर कर दिया, एयर इन्डिया ने सेवा नियमों के तहत एक जांच बिठाई और गवाहों को पैसे देकर कहलवाया कि अरूणा शादीशुदा हैं, और इस तरह सेवा नियमों की विवाह-धारा का उल्लंघन किया। अब सरकार ने इन नियमों में संशोधन कर दिया है और शादी की रोक हटा ली गई है। इसके अलावा, बम्बई सिटी सिविल कोर्ट ने भी घोषित किया है कि अरूणा विवाहित नहीं हैं और एयर इन्डिया द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र खारिज है। वैसे भी वे गैर विवाहित घोषित की जा चुकी हैं। फिर भी, एयर इन्डिया ने आज तक अरूणा अवारे को पुर्ननियुक्त नहीं किया है।

4. परिचारिकाओं की निवृत्ति—पुरानी योजना :—विमान परिचारिकाओं की सेवा निवृत्ति आयु की 35 से 58 वर्ष तक की वृद्धि की भारत सरकार की अधिसूचना जारी होने से पहले, उनके 35 वर्ष पर, कुछ मुआवजों के साथ, रिटायर होने का प्रावधान था। हमारा निवेदन है कि उन मुआवजों को बेहतर बनाया जाय—उन मामलों में जहां परिचारिका 35 वर्ष या उससे अधिक की उम्र में रिटायर होने की इच्छा व्यक्त करें। उन्हें एयर इंडिया के पैंसेज रेग्युलेशन्स, आदि के प्रावधानों के अलावा हरेक पूरे किए गए वर्ष के लिए एक्स-ग्रैशिया भुगतान किया जाय।

महाशय, हम सदा के लिए आपके आभारी होंगे, यदि आप उपरोक्त मामलों में हस्तक्षेप कर हमें राहत दिलाएं। तमाम परिचारिकाओं की ओर से आपको धन्यवाद।

भवदीय

ह०—(रूहीन खम्बाटा) अध्यक्ष, एयर इंडिया एयर होस्टेसेज एसो०, बंबई।

ह०—(हेमंत कुमारी), सचिव, एयर कॉरपोरेशन्स एमप्लाईज यूनियन, बंबई।

न कोई कानून न कोई सुविधा

असंगठित क्षेत्र में कामगार महिलाओं को संगठित क्षेत्र के मुकाबले कहीं ज्यादा शोषण और नाबराबरी का सामना करना पड़ता है। वैसे तो असंगठित क्षेत्र में क्या स्त्री, क्या पुरुष, सभी मजदूरों के लिए स्थितियां काफी खराब हैं, फिर भी महिलाओं को आम तौर पर कहीं ज्यादा बुरी स्थितियों में काम करना पड़ता है। इसके ऊपर से हालत यह है कि असंगठित क्षेत्र में लगी कामगार महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक दशा और सेवा शर्तों के सिलसिले में कोई विश्वसनीय आंकड़े भी अभी तक उपलब्ध नहीं हैं। भवन-निर्माण तथा अन्य निर्माण उद्योग, असंगठित क्षेत्र का एक ऐसा हिस्सा है, जिसमें खासी बड़ी संख्या में कामगार महिलाएं काम कर रही हैं।

इस क्षेत्र के सिलसिले में पिछले दिनों किये गये एक सर्वे पर आधारित एक रिपोर्ट, इंडियन लेबर जनरल में प्रकाशित हुई है। इस सर्वे के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में निर्माण कार्य से संबंधित ब्यौरों को एकत्र करने के बजाय अध्ययन के क्षेत्र को चार महानगरों—दिल्ली, बंबई, मद्रास तथा कलकत्ता—में जारी निर्माण कार्यों तक ही सीमित रखा गया है। इनमें से भी इस अध्ययन में सिर्फ उन्हीं निर्माण परियोजनाओं को लिया गया, जो सरकारी, अर्द्धसरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्र की एजेंसियों द्वारा चलायी जा रही थीं, और जिनमें पांच से ज्यादा महिला मजदूर इस अध्ययन के समय काम कर रही थीं। अध्ययन के लिए निर्माण परियोजनाओं का सैंपल भी केंद्र तथा राज्य सरकार के निर्माण विभागों, नगर निगमों तथा विकास प्राधिकरणों, आवास बोर्डों, रेलवे-निर्माण विभागों आदि से, उस समय चल रहे निर्माण कार्यों की जो सूचियां मिल सकी थीं, उनमें से छांटकर तैयार किया गया था। इस अध्ययन के लिए निर्माण परियोजनाओं को उनके ठेके की कीमत के हिसाब से निम्नलिखित चार श्रेणियों में बांटा गया :

1. 25 लाख रु० से कम के ठेके.
2. 25 लाख रु० या उससे ज्यादा के, किंतु 50 लाख से कम, के ठेके।
3. 50 लाख या उससे ज्यादा के, किंतु 1 करोड़ रु० से कम के, ठेके।
4. 1 करोड़ या उससे अधिक के ठेके।

इस अध्ययन में कुल मिलाकर दिल्ली में 29 निर्माण स्थलों, बंबई में 14 तथा मद्रास शहर में 13 निर्माणस्थलों से ब्योरा एकत्र किया गया। जिन निर्माण परियोजनाओं का अध्ययन किया गया, उनका ठेका मूल्य क्रमशः दिल्ली में 45 करोड़ 53 लाख रु०, बंबई में 49 करोड़ 14 लाख रु०, तथा मद्रास में 11 करोड़ 22 लाख रु० था। अध्ययन के समय इन केंद्रों में संबंधित निर्माण कार्यों में क्रमशः 053, 155 तथा 167 महिलाएं काम कर रही थीं। तीनों शहरों में जिन निर्माण कार्यों का अध्ययन किया गया, उनमें से ज्यादातर या तो निजी ठेकेदारों से करवाये जा रहे थे या फिर एक से ज्यादा हिस्सेदारों वाली निर्माण फर्मों के जरिये। इसके अलावा, निजी तथा सार्वजनिक लिमिटेड निर्माण कंपनियों द्वारा चलाये जा रहे कुछ निर्माण कार्यों को भी अध्ययन में शामिल किया गया। इस अध्ययन से निर्माण उद्योग में लगी कामगार महिलाओं की स्थिति की जो तस्वीर निकलकर सामने आती है, संक्षेप में यहां प्रस्तुत की जा रही है।

महिला रोजगार कुछ विशेषताएं

हालांकि विभिन्न निर्माण एजेंसियां, भवन-निर्माण, रेल लाइनों के निर्माण, सीवर लाइनों के निर्माण आदि गतिविधियों को चलाती हैं, फिर भी कामगार महिलाओं को ज्यादातर पवन-निर्माण के काम तक ही सीमित रखा जाता है। कुछ मामलों में उन्हें सड़क-निर्माण संबंधी कार्यों में भी लगाया जाता है। इसके विपरीत, बिजली घरों के निर्माण, भूमिगत सीवर लाइनों के निर्माण, रेल संबंधी निर्माण आदि कार्यों में उनकी उपस्थिति या तो

बहुत कम रहती है या बिल्कुल नगण्य। इसकी वजह यह है कि उन्हें मुख्यतः मिट्टी, गारा, ईंटों, मसाले आदि को ढोने के काम में ही लगाया जाता है और ये काम सबसे ज्यादा भवन-निर्माण की गतिविधियों में ही उपलब्ध होते हैं।

हालांकि भवन-निर्माण तथा अन्य निर्माण गतिविधियों में हर श्रेणी के मजदूरों, अत्यंत कुशल तथा कुशल, अर्द्ध-कुशल और अकुशल के लिए काम होता है, फिर भी महिला मजदूरों को अकुशल मजदूरों के कामों पर ही लगाया जाता है। अध्ययन के दौरान जिन निर्माण परि-योजनाओं से ब्यौरा इकट्ठा किया गया, उनमें लगे कुल मजदूरों में से दिल्ली में 25.5 फीसद, बंबई में 15 फीसद तथा मद्रास में 29.3 फीसद हिस्सा महिलाओं का ही था। इसके बावजूद इनमें सभी महिलाओं को अकुशल मजदूरों के कामों पर ही लगाया गया था। तीनों शहरों में जिन निर्माण परियोजनाओं का अध्ययन किया गया, उनमें से किसी में भी एक भी महिला को किसी कुशल या अर्द्धकुशल काम पर नहीं लगाया गया था। पुनः, दिल्ली में इन परियोजनाओं में लगे अकुशल मजदूरों में महिलाओं का हिस्सा 37.9 फीसद था, बंबई में 22 फीसद और मद्रास में 51.2 फीसद। ज्यादातर मामलों में अकुशल महिला मजदूरों को कुली का दर्जा दिया गया था, जबकि अकुशल पुरुष मजदूरों को बेलदार का दर्जा दिया गया था। कुछ निर्माण परियोजनाओं में स्त्री तथा पुरुष, दोनों ही अकुशल मजदूरों को मजदूर या लेबर का एक ही दर्जा दिया गया था।

जिन निर्माण कार्यों का अध्ययन किया गया, उनमें से अधिकांश में मस्टर रोल पूरे नहीं थे। कुछ मामलों में तो तीन-तीन, चार-चार दिन से काम पर आ रहे लोगों की हाजिरी ही नहीं लगायी गयी थी। आम तौर पर पूरे दिन की हाजिरी, काम का एक निश्चित हिस्सा पूरा करने के बाद ही देने का तरीका अपनाया जाता है। पुनः कुछ मामलों में काम के रिकार्डों में महिला मजदूरों का हिस्सा, वास्तव में कार्यस्थलों पर उनकी उपस्थिति के मुकाबले काफी कम दिखाया गया था। ठेकेदार अक्सर यह तरीका इसलिए अपनाते हैं कि इस तरह कार्यस्थलों पर काम में लगे कुल मजदूरों की संख्या 20 से कम दिखायी जा सकती है और इस तरह वे 1970 के ठेका मजदूरी (नियमन तथा समाप्ति) कानून से बच निकलते हैं।

निर्माण स्थलों पर काम में लगे मजदूरों की संख्या, निर्माण गतिविधि के विभिन्न चरणों में काफी जल्दी-जल्दी ही नहीं, बल्कि काफी बड़ी तादाद में भी घटती-बढ़ती रहती है।

जिन निर्माण परियोजनाओं का अध्ययन किया गया था, उनमें सम्बन्धित महीने में महिला तथा पुरुष, अकुशल मजदूरों का काफी बड़ा हिस्सा दस दिन या उससे कम बेकार बैठा रहा था। हर बार नये काम की तलाश के चलते बेकार बैठे रहने की यह अवधि 15 दिन से लेकर 3 महीने तक की रहती है। दूसरी ओर, निर्माण कार्यों में मजदूरों को साल में सिर्फ छः सात महीने ही काम मिलता है।

बंबई में एक इनकार्पेरिटेड निर्माण कंपनी तथा एक, एक से ज्यादा हिस्सेदारों वाली फर्म द्वारा नियमित कर्म-चारियों के रूप में रखी जा रही तीन महिलाओं को अप-वादस्वरूप छोड़कर तीनों शहरों में इस अध्ययन के अंतर्गत आये सभी कार्यस्थलों पर सभी महिला मजदूरों को कैजु-अल मजदूर के रूप में लगाया गया था। दूसरी ओर, रेगुलर मजदूरों के रूप में इन कार्यस्थलों पर काम कर रहे पुरुष मजदूरों की संख्या दिल्ली में ही 15 थी और बंबई में 49, यानी अध्ययन के अंतर्गत आये कुल निर्माण-स्थलों में लगे कुल मजदूरों में क्रमशः 1 तथा 5.6 फीसद। मद्रास में कोई भी निर्माण मजदूर नियमित नहीं था।

दिल्ली में जिन अलग-अलग निर्माण परियोजनाओं का अध्ययन किया गया था, उनमें लगे 95 फीसद अकुशल मजदूर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार आदि दूसरों राज्यों के देहाती इलाकों से आये मजदूर थे। इनमें से विभिन्न निर्माण परियोजनाओं में लगे कुल असंगठित मजदूरों का दो तिहाई से भी कुछ ज्यादा हिस्सा राजस्थान तथा मध्य प्रदेश से ही आये लोगों का था। बिहार राज्य से आये मजदूरों के मामले में ज्यादातर पुरुष मजदूर निर्माण कार्यों में रोजगार के लिए दिल्ली आये थे, जबकि उनके परिवारों की महिलाएं उनके गांव में ही रह रही थीं। इसी प्रकार बंबई में जिन निर्माण परियोजनाओं का अध्ययन किया गया। उनमें लगे अकुशल मजदूरों में से 53 फीसद अन्य राज्यों, खासकर आंध्र तथा कर्नाटक से आये हुए मजदूर थे, जबकि शेष या तो स्थानीय थे या महाराष्ट्र के ही अन्य जिलों से आये थे। मद्रास के मामले

में पुरुष तथा महिला, सभी मजदूर उसी राज्य, तमिलनाडु के थे।

मजदूरी तथा आय

जिन कार्यस्थलों का अध्ययन किया गया था, उन सभी में लगे पुरुष तथा महिला मजदूरों को उनके द्वारा जितने दिन का काम किया गया था, उतने दिन की मजदूरी दिये जाने की जानकारी मिली। फिर भी, ज्यादातर मामलों में यह पाया गया कि मजदूरों को पूरे दिन की दिहाड़ी तभी दी जाती है, जब वे काम का एक निश्चित हिस्सा पूरा करें।

दिल्ली में इन परियोजनाओं में पुरुष तथा स्त्री मजदूर, दोनों को ही हर पखवाड़े पर मजदूरी दी जा रही थी, जबकि मद्रास में हर हफ्ते। बंबई में जिन निर्माण कार्यों का अध्ययन किया गया, उनमें 14 में से 10 में स्त्री तथा पुरुष मजदूर, दोनों को ही महीने के महीने मजदूरी दी जा रही थी, शेष चार निर्माण कार्यों में लगे मजदूरों को हर हफ्ते मजदूरी मिल रही थी।

अतिकुशल, कुशल, तथा अर्द्धकुशल कामों के लिए, जिन पर पुरुषों को ही लगाया गया था, एक भी ऐसा मामला देखने में नहीं आया, जिसमें वास्तव में दी जा रही मजदूरी, न्यूनतम मजदूरी कानून के अन्तर्गत सुझायी गयी मजदूरी से कम हो रही हो। इसके विपरीत, अकुशल मजदूरों के मामले में ही वास्तविक मजदूरी, खासकर महिला मजदूरों के मामले में यह मजदूरी, बहुत से मामलों में कानून के अन्तर्गत तय की गयी मजदूरी से कम पायी गयी। बंबई में जिन निर्माण कार्यों का अध्ययन किया गया; उनमें 14 में से 9 में अकुशल महिला मजदूरों को न्यूनतम वैधानिक मजदूरी से कम दिहाड़ी दी जा रही थी, जबकि मद्रास में 13 निर्माण कार्यों में से 5 में यह स्थिति पायी गयी। इनमें से कुछ मामलों में तो महिला मजदूरों को दिहाड़ी, न्यूनतम मजदूरी के आधे और तीन चौथाई हिस्सों से भी कम थी। कलकत्ता में जिन निर्माण कार्यों का अध्ययन किया गया, उनमें अकुशल महिला मजदूरों की मजदूरी 13 से 16 रुपये रोज तक पायी गयी, जबकि पुरुष मजदूरों के लिए यही मजदूरी 18 से 20 रुपये तक थी। लेकिन, दिल्ली में जिन निर्माण कार्यों का अध्ययन किया गया, उनमें अकुशल महिला तथा पुरुष मजदूरों को समान रूप में दिल्ली प्रशासन द्वारा तय की गयी दर से मजदूरी दी जा रही थी।

इन मजदूरों को किसी भी तरह के अतिरिक्त लाभ, नकद या माल की शक्ल में नहीं दिये जा रहे थे। उन्हें न तो किसी सवेतन अवकाश का अधिकार था और न किसी भी तरह की छुट्टी की स्थिति में कोई मजदूरी दी जाती है। इसके अलावा, ज्यादातर निर्माण कार्यों में ओवर टाइम काम के लिए मजदूरी, दिहाड़ी की सामान्य दरों पर ही दी जा रही थी। दिल्ली के तीन तथा बंबई का एक निर्माण कार्य ही इसके अपवाद थे, जहां ओवर टाइम के लिए सामान्य दर से दोगुनी मजदूरी दी जा रही थी। अधिकांश मामलों में मालिकान, अपने मजदूरों को राष्ट्रीय दिवसों या अन्य त्यौहारों की छुट्टी की कोई मजदूरी नहीं दे रहे थे। दिल्ली के तीन तथा बंबई का एक मालिक ही इसके अपवाद थे, जहां इन छुट्टियों को सवेतन छुट्टी माना जा रहा था। मद्रास में दो तथा दिल्ली व बंबई में एक-एक निर्माण कार्य में ही दिवाली, होली तथा पोंगल आदि त्यौहारों की छुट्टी के लिए मजदूरी दी गयी थी। इसके अलावा, मजदूरों को कानून के अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा का दूसरा कोई लाभ भी हासिल नहीं था। उन्हें 1952 के कर्मचारी प्रोविडेंट फंड तथा अन्य प्रावधान कानून के अन्तर्गत कोई लाभ नहीं मिल रहा था, जबकि उनमें से कई एक ही कार्यस्थल पर काफी लम्बे अर्से से काम करते रहे थे बंबई में जिन निर्माण कार्यों का अध्ययन किया गया, उनमें 14 में से 9 में और मद्रास में 13 में से 9 में मालिकान समान मजदूरी कानून प्रावधानों का उल्लंघन कर रहे थे। क्योंकि इन सभी मामलों में महिला मजदूरों की दिहाड़ी, पुरुष मजदूरों की दिहाड़ी से काफी कम थी। मालिकान यह कहकर कि पुरुषों द्वारा किये जा रहे काम, महिलाओं द्वारा किये जा रहे कामों के मुकाबले कहीं कड़ी मेहनत की मांग करनेवाले काम हैं। समान मजदूरी कानून के विभिन्न प्रावधानों को धता बता रहे थे, जबकि अध्ययन से यह पता चला कि ज्यादातर मामलों में अकुशल महिलाओं तथा पुरुषों द्वारा किये जा रहे कामों में कोई भी अन्तर नहीं था।

जाहिर है कि अगर मजदूरों को सभी कार्य दिवसों पर काम नहीं मिलता है, तो एक निश्चित कार्य अवधि में उनकी कुल आय उसी अनुपात में घट जाती है। इस

तरह, काम न मिलने की अवधि को हिसाब में लेने के बाद महिला मजदूरों की औसत दैनिक आय, मद्रास शहर के मामले में, 14 रु० 90 पैसे, बंबई शहर के मामले में 16 रु० 34 पैसे और दिल्ली के मामले में 14 रु० 25 पैसे बैठ रही थी, जबकि वैधानिक न्यूनतम मजदूरी क्रमशः 19 रु० 20 पैसे, 27 रु० 60 पैसे तथा 18 रु० 80 पैसे बनती थी।

सेवा शर्तें और कल्याण सुविधाएं

जिन निर्माण कार्यस्थलों का अध्ययन किया गया, उनमें से अधिकांश में ज्यादातर दिन में ही काम हो रहा था। एक शिफ्ट ही में। लेकिन, इमारतों की छतें आदि डालने के दौरान रात में देर तक भी काम चलता रहता है। ऐसे मामलों में महिला मजदूरों को भी रात में देर तक काम करना पड़ रहा था। इस समय ऐसा कोई कानूनी प्रावधान नहीं है, जो महिला निर्माण-मजदूरों के रात में काम करने पर पाबन्दी लगाता हो।

महिला या पुरुष मजदूर, किसी के मामले में और किसी भी निर्माण-स्थल पर रोजाना के काम के घंटे कानूनी रूप से तयशुदा 9 घंटे की हद से ज्यादा नहीं थे। फिर भी, अनेक मामलों में एक सप्ताह में काम के घंटे 48 घंटे की वैधानि सीमा से कहीं ज्यादा पाये गये और इन मामलों में मजदूर को कोई अतिरिक्त मजदूरी भी नहीं दी जा रही थी, कुछ मामलों में मजदूर साप्ताहिक छुट्टी के दिन यानी इतवार को भी काम करते पाये गये, जिसके लिए उन्हें कोई वैकल्पिक छुट्टी नहीं दी जा रही थी। बहरहाल, काम के दैनिक सामान्य घंटों के सिलसिले में महिला तथा पुरुष मजदूरों के बीच कोई भेदभाव नहीं हो रहा था।

जिन निर्माण कार्यों का अध्ययन किया गया, उनमें से कुछ में काम कर रहे मजदूर सीमेंट के बोरों, गारे, ईंटों आदि का भारी बोझा ढोते हुए दिखायी दिये, जो कुछ मामलों में 30 किलो से ज्यादा था। इस समय ऐसा कोई कानूनी प्रावधान नहीं है, जो महिला निर्माण-मजदूरों के भारी बोझे उठाने की मनाही करता हो।

इन कार्यस्थलों में से किसी में भी यह देखने में नहीं आया कि भवन तथा निर्माण के कठोर व खुरदुरे सामान को उठाने-रखने आदि के लिए मजदूरों को कोई दस्ताने दिये गये हों या कोई अन्य रक्षात्मक उपाय किये जाने की व्यवस्था हो। इसलिए, अधिकांश मामलों में उनके हाथ तथा पांव जगह-जगह से कटे-फटे और बहुत ही दयनीय अवस्था में थे। किसी भी पुरुष या महिला मजदूर को कहीं भी काम की कोई पोशाक नहीं दी गयी थीं। केंद्रीय तथा राज्य सार्वजनिक निर्माण विभागों की सुरक्षा सहिताओं में जो प्रावधान होते हैं। उनका शायद ही कहीं पालन किया जाता होगा। इस समय ऐसा कोई कानून नहीं है, जो कार्यस्थलों पर मजदूरों की सुरक्षा की व्यवस्था को अनिवार्य बनाता हो।

मालिकान ने कहीं भी अपने मजदूरों को पीने का पानी उपलब्ध कराने की भी अलग से कोई व्यवस्था नहीं की थी। निर्माण कार्य के लिए जो पानी आ रहा था, वही मजदूरों को पीना पड़ रहा था। मद्रास शहर में जिन कार्यस्थलों का अध्ययन किया गया, उनमें से सिर्फ एक में मिट्टी के घड़े में पीने का पानी रखा गया था। किसी भी अन्य मालिक ने गर्मी के महीनों में अपने मजदूरों को पीने का ठंडा पानी उपलब्ध कराने के लिये कोई प्रबंध नहीं किये थे।

दिल्ली में जिन कार्यस्थलों का दौरा किया गया, उनमें 26 से 20 में, बंबई में 14 में से 6 में और मद्रास में 13 में से 7 में मजदूरों के लिए शौचालय की कोई भी व्यवस्था नहीं थी। दिल्ली के 6, बंबई के 5 और मद्रास के 3 कार्यस्थलों पर ही महिला मजदूरों के लिए अलग शौचालय की व्यवस्था थी। पुरुष या महिला मजदूरों, के लिए अलग से मूत्रालय की व्यवस्था किसी भी निर्माण स्थल पर नहीं थी। तीनों शहरों में, जितने भी कार्यस्थलों का दौरा किया गया, उनमें से किसी में भी मजदूरों के लिये नहाने-धोने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। वास्तव में स्त्री तथा पुरुष मजदूर दोनों ही एक जैसी ही खुली जगहों में नहा रहे थे, उस पानी से, जो निर्माण कार्य के लिये आ रहा था।

दिल्ली में जिन 29 निर्माण कार्यों का अध्ययन किया गया, उनमें से 18 में कानूनन पालनाघर की व्यवस्था होनी चाहिये थी। लेकिन, एक करोड़ रु० से ज्यादा के काम में लगी एक बड़ी निर्माण फर्म को छोड़कर और किसी ने भी यह इन्तजाम नहीं किया था। दो अन्य निर्माण स्थलों पर, जिनके टेंडर की कीमत करीब 2 करोड़ रु० थी, बच्चों के लिये पालनाघर की व्यवस्था के लिए सचल पालनाघर संगठन की मदद ली गयी थी। लेकिन, यह स्थानीय सचल पालनाघर संगठन, संबंधित निर्माण-स्थलों में से एक में ही पालनाघर चला रहा था। मद्रास के

मालिकान में से किसी ने भी कार्यस्थल पर पालनाघर की व्यवस्था नहीं की थी।

निर्माण कार्यस्थलों पर काम कर रही महिला मजदूरों पर आम तौर पर मातृत्व लाभ कानून लागू नहीं होता है। फिर भी, केंद्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग के आम नियमों तथा निर्देशों में एक प्रावधान है, जिसमें जरूरतमंद महिला मजदूरों को मातृत्व लाभ दिये जाने का प्रावधान है। लेकिन, तीनों शहरों में जिन निर्माण कार्यों का अध्ययन किया गया, उनमें से किसी में भी किसी महिला मजदूर को यह लाभ दिये जाने की जानकारी नहीं मिली। अधिकांश महिला मजदूर यह लाभ पाने के लिये छः महीने या उससे अधिक अवधि तक काम कर चुके होने की आवश्यक शर्त ही पूरी नहीं करती थीं। लेकिन, तीनों शहरों में से हरेक में ऐसे कुछ न कुछ मामले जरूर देखने में आये, जिनमें महिला मजदूरों को मातृत्व छुट्टी नहीं दी गयी थी, हालांकि नियमानुसार वे इस लाभ की अधिकारी थीं।

अधिकांश मालिकान ने कार्यस्थलों पर प्रथमोपचार बक्से तो रखे हुए थे, लेकिन ज्यादातर मामलों में इन बक्सों में सामग्री आधी-अधूरी ही पायी गयी। दिल्ली के तीन मालिकान को छोड़कर, जिनका दावा था कि उनका कुछ निजी डाक्टरों से सम्पर्क है, तीनों शहरों में अध्ययन के अंतर्गत आयी निर्माण परियोजनाओं में से किसी के भी मालिकान ने मजदूरों के लिये किसी भी तरह की चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था नहीं की थी। यह तब था, जबकि निर्माण कार्यों में लगे मजदूरों में विवाहित महिलाओं की खासी बड़ी संख्या थी, जिनके लिये प्रसवपूर्व तथा प्रसव-पश्चात चिकित्सा सुविधाएं जरूरी थीं।

दिल्ली के सभी 29, बम्बई के 14 तथा मद्रास के 13 में से मालिकों ने अपने मजदूरों के लिये निर्माण-स्थल पर ही रहने की कुछ न कुछ व्यवस्था कर रखी थी। ऐसे कार्यस्थलों पर ही रहने वाले मजदूरों का हिस्सा दिल्ली में 77.6 फीसद और महिला अकुशल मजदूरों में 24 फीसद ने कार्यस्थलों को ही अपना आवास बनाया था।

रिहाइश और शिक्षा

मालिकान द्वारा की गयी रिहाइश की व्यवस्था अस्थायी झोंपड़ियों के रूप में हीं थी, जिनमें से ज्यादातर में रसोईघर, स्नानघर आदि जैसी कोई अन्य सुविधाएं नहीं थीं। अधिकांश कार्यस्थलों पर श्रम शिविरों में भी शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं थी। तमाम झोंपड़ियों का फर्श कच्चा था और उनमें से ज्यादातर में हवा के आने-जाने की कोई समुचित व्यवस्था नहीं थी। इन श्रम शिविरों में गंदे पानी की निकासी तथा सफाई की भी कोई सुविधा नहीं थी।

मद्रास शहर में 13 मालिकान में से 7 अपने मजदूरों को उनकी रिहाइश की जगह से कार्यस्थल तक का आने-जाने का रोजाना का बस भाड़ा दे रहे थे। लेकिन अन्य दोनों शहरों में, जहां अधिकांश मजदूर मालिकान द्वारा दी गयी जगहों में कार्यस्थल पर ही रह रहे थे, इस तरह की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं थी।

तीनों शहरों में जिन निर्माण-स्थलों का दौरा किया गया, उनमें से किसी में भी कैंटीन की सुविधा नहीं थी। अधिकांश मालिकान अपने मजदूरों को मनोरंजन की भी कोई सुविधाएं नहीं दे रहे थे।

ज्यादातर मालिकान, मस्टर रोल तथा मजदूरी के रजिस्टर को छोड़कर, कानून के अनुसार जरूरी कोई भी श्रम रिकार्ड नहीं रख रहे थे। यहां तक कि कुछ कार्यस्थलों पर, खासकर बम्बई तथा मद्रास में मस्टर रोल तथा मजदूरी रजिस्टर तक या तो रखे ही नहीं जा रहे थे या फिर निर्माण-स्थल पर फील्ड आफीसर के दौरे से ऐन पहले तैयार किये गये थे। कुछ मामलों में फील्ड आफीसर के दौरे की तारीख से पहले के चार-चार, पांच-पांच दिन के लिए मस्टर रोल में कोई भी प्रविष्टियां नहीं की गयी थीं।

कामगार महिलाओं के लिये काम की स्थितियां, पुरुष-मजदूरों से भी खराब पायी गयीं। उनके मामले में मौजूदा संरक्षणात्मक प्रावधान वैसे भी बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं करते हैं। फिर, मालिकान द्वारा उनका पूरी तरह से उल्लंघन किया जाता है, सो अलग। मिसाल के तौर पर, इस समय तक ऐसा कोई कानूनी प्रावधान नहीं है, जो उन्हें मातृत्व लाभ दिला सके और उनसे रात में काम कराये जाने या भारी बोझ उठवाये जाने की मनाही कर सके। सच तो यह है कि भवन-निर्माण तथा निर्माण उद्योग में लगे मजदूरों के लिए एक अलग व्यापक कानून की जरूरत है, जिसमें इस उद्योग की सारी खासियतों को ध्यान में रखकर मजदूरों को सुरक्षा प्रदान की जा सके।

[शेष पृष्ठ 16 पर]

समान मजदूरी से वंचित हैं खेत मजदूरिनें

आम तौर पर और अपरिहार्य रूप से, भारत के हरेक राज्य में महिला खेत मजदूरों को, पुरुष खेत मजदूरों के मुकाबले कम मजदूरी मिलती है। महिला मजदूर खेती में बिजाई, निराई, कटाई, गट्ठर बनाने, बिनाई, छंटाई, खाद तथा कीटनाशक दवाओं के छिड़काव आदि और दौनी, पानी भराई आदि के अनेक काम करती हैं। वे कपास, मोटे अनाजों दालों, तंबाकू, मिर्च, सब्जी आदि और गन्ना तथा केले के खेतों में काम करती हैं।

महिला खेत मजदूरों द्वारा किये जाने वाले ये सारे काम गिनें तो हलके तथा अकुशल श्रम में जाते हैं, लेकिन वास्तव में इन सभी कामों में बड़ी सावधानी, कोमलता तथा एकाग्र चित्तता की जरूरत होती है, जो इन कामों को बड़ा कठिन बना देती है। उनमें से ज्यादातर कामों के लिए, भूस्वामियों, मजदूरिनों को ही पसंद करते हैं, क्योंकि वे ईमानदारी से मेहनत करती हैं, अनुशासित रहती हैं, समय की पाबंद होती हैं और उन्हें बहुत कम मजदूरी देनी पड़ती है। दूसरी ओर, काम के परिणाम तथा काम की गुणवत्ता के लिहाज से, उनका काम पुरुष मजदूरों से किसी भी तरह कमतर नहीं होता है।

इसलिए, कामगार महिलाओं को पुरुष खेत मजदूरों के बराबर ही मजदूरी मिलनी चाहिए लेकिन, सदियों से चले आते तौरतरीके और महिलाओं के प्रति आम तौर पर तथा शारीरिक श्रम करनेवाली मजदूरिनों तथा सामाजिक रूप से उत्पीड़ित अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों की महिलाओं के प्रति खासतौर पर जड़ जमाये बैठे नाबराबरी के रवैये का, इस मामले में वर्गीय हितों के साथ गठजोड़ हो गया है। इसके चलते, महिला खेत मजदूरों को आम तौर पर कम मजदूरी दी जाती है और जानबूझकर कम ही मजदूरी बनाये रखी जाती है। यहां तक कि पुरुष मजदूर भी, महिला कामगारों को अपने बराबर मानने को तैयार नहीं होते हैं और इस तरह मजदूरी के मामले में नाबराबरी बनी ही हुई है।

और, ऐसी कामगार महिलाओं को, जिन्हें रोजगार की तलाश में दूसरे जिलों या राज्यों में जाना पड़ता है (मसलन बिहार/उत्तर प्रदेश से पंजाब में और महाराष्ट्र से गुजरात में), उन्हें बदतरीन हालात में जीना पड़ता है और हर तरह की यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। अनेक खेत मजदूर परिवारों को अपने गांव छोड़कर, गन्ना क्षेत्र में जाना पड़ता है, जहां महिलाओं को भी गन्ने की कटाई के लिए दिन-रात काम करना पड़ता है। उन्हें किसी भी तरह से आश्रय के अभाव में खुले मैदानों में सोना पड़ता है। कई बार भूस्वामियों, ठेकेदारों, गुंडों, यहां तक कि पुलिस द्वारा भी युवा मजदूरिनों को तरह-तरह से परेशान किया जाता है और दैहिक शोषण का शिकार बनाया जाता है। इस तरह के अत्याचार आये दिन की चीज हो गये हैं और बाहर से आयी असहाय मजदूरिनों को किसी भी तरह का संरक्षण उपलब्ध नहीं होता है।

जंगलात के नरसरियों में काम कर रही महिला मजदूरों को विभागीय तौर पर तय की गई दर से 14 से 18 रु. 20 पैसे तक की दर से बराबर मजदूरी तो मिलती है, लेकिन इस क्षेत्र में भी हेराफेरी तथा भ्रष्टाचार बना हुआ है। निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट हो जाता है कि विभिन्न राज्यों में महिला मजदूरों को किस तरह असमान मजदूरी मिल रही है।

राज्य	वैधानिक न्यूनतम मजदूरी	वास्तविक पुरुष	वास्तविक स्त्री
उत्तर प्रदेश	15 रुपये से 16.50 रुपये	4-5 किलो गेहूं	4 किलो गेहूं
बिहार	12 रुपये	10 रुपये	4-5 रुपये
पंजाब	25 रुपये	15-25 रुपये	8-12 रुपये
केरल	पुरुषों को 15 रुपये महिलाओं को 12 रुपये	20-40 रुपये (सीजन के अनुसार)	12-16 रुपये
उड़ीसा	11 रुपये	6-8 रुपये	4-6 रुपये
महाराष्ट्र	12-20 रुपये	10-20 रुपये	6-14 रुपये
आंध्र			7-10 रुपये

गर्भवती महिलाओं को अस्वस्थ मानना पुरातनता है

"जब तक बच्चा प्राप्त करना मौलिक अधिकार माना जाता है, कोई भी नियम जो गर्भवती महिलाओं को अस्थायी तौर पर काम के लिए अस्वस्थ मानता है, न केवल पुरातन है, बल्कि नागरिक जीवन के भी विरुद्ध है।"

ये विचार व्यक्त किए गए मद्रास उच्च न्यायालय के कार्यभारी मुख्य न्यायाधीश एस. मोहन और न्यायाधीश एस० राम लिंगम द्वारा, जब वे तमिलनाडु के एक केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रम नेवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन (एन. एल. सी.) में 1986 कनीय रसायनज्ञ की हैसियत से ठेका कार्यकर्मी के रूप में कार्यरत श्रीमती अमूधा की याचिका को स्वीकार कर रहे थे।

रसायन विज्ञान स्नातक श्रीमती अमूधा को एन. एल. सी. के कनीय रसायनज्ञ के स्थायी पद के लिए चुना गया। ताज्जुब है कि उनके साथ चुने गए 39 और लोगों को जहां नियुक्ति पत्र मिल गया, एन.एल.सी के प्रबंधन ने एक पत्र के माध्यम से कहा कि बच्चा होने के बाद उन्हें नियुक्ति आदेश दिए जाएंगे। इंटरव्यू के समय श्रीमती अमूधा को 16 सप्ताह का गर्भ था।

एन.एल.सी. प्रबंधन के आदेश न जारी करने के विरोध में श्रीमती अमूधा ने मद्रास उच्च न्यायालय में अपील दायर किया, जिसे एक मात्र जज ने उसके इस निवेदन को ठुकरा दिया कि प्रजनन के बाद ही नियुक्ति आदेश जारी करने का मतलब भारतीय संविधान की धारा 14 का उल्लंघन करता है।

दुबारा याचिका की सुनवाई के दौरान, हाई कोर्ट के दो सदस्यीय पीठिका के सामने, एन. एल. सी. ने तर्क दिया कि चूंकि काम खतरनाक है, इसलिये एन. एल. सी. के मेडिकल परीक्षण नियमों के तहत, गर्भ की अग्रिम अवस्था की महिला को अनस्थायी तौर पर अस्वस्थ मानना उचित समझा गया। और निवेदिका को प्रजनन के तीन महीने बाद काम पर आने का अधिकार है और उनकी वरीयता में भी कोई बाधा नहीं होगी। इसके अलावा, एक कनीय रसायनकर्मी को विभिन्न रसायनों एवं गैसों के साथ काम करना पड़ता है, जिससे गर्भवती महिला के स्वास्थ्य को जोखिम पहुंचने का खतरा हो सकता था।

एन. एल. सी. के इस तर्क को रद्द करते हुए पीठिका ने बताया कि एकमात्र न्यायाधीश के आगे एन. एल. सी. ने यह स्थिति नहीं पेश की थी। अमूधा के निवेदन को परास्त करने का यह नायाब तरीका था। पीठिका ने यह भी कहा कि निवेदक उसी पद के लिए ठेकाकर्मी की तरह काम कर रही है, और उसे अभी खतरनाक नहीं माना जा रहा है।

यदि ठेकाकर्मी की तरह नियुक्त अमूधा पर यह आधार आरोपित नहीं किया गया तो अब, स्थायी नियुक्ति के वक्त, उसे कैसे थोपा गया, न्यायाधीशों ने पूछा।

"हम यहां जोर देना चाहेंगे कि संविधान की 12वीं धारा के विरुद्ध ही, यहां निवेदिका की मुक्त विवाहित जिन्दगी में हस्तक्षेप करने की चेष्टा झलकती है" जजों ने कहा। जजों ने बताया कि उनकी दलील मुश्किल परिस्थिति से निकलने का बहाना है। भारत में आमतौर पर गर्भवती महिलाओं को खेतों-खलिहानों में, सड़कों पर, खदानों में भी, जहां जोखिम है, काम करते देखा जा सकता है। फिर भी वे काम करने का साहस रखती हैं, चूंकि वे गरीबी और जिन्दगी की जरूरतों से ग्रस्त हैं। जजों के अनुसार एन. एल. सी. का नियम 21 चूंकि सेवाओं को वर्गीकृत नहीं करता और सभी सेवाओं पर लागू होता है, अतः इसमें मनमानी की पूरी गुंजायश है और इसलिए संविधान की 14वीं धारा का उल्लंघन करता है। उन्होंने पहले फैसले को इस तरह कूड़ेदान में फेंक दिया।

इंडियन वर्कर, 27 नवंबर,' 89 से साभार

ए. आई. पी. डब्ल्यू. एफ. तथा ए. आई. सी. सी. डब्ल्यू. डब्ल्यू. की कार्यकारिणी के सदस्य ध्यान दें

सीटू जेनरल कौंसिल की बैठक अप्रैल के तीसरे सप्ताह में होने वाली है। इसी के साथ ऑल इंडिया प्लांटेशन वर्कर्स फेडरेशन तथा ए. आई. सी. सी. डबल्यू. डबल्यू की भी बैठक होगी। इनकी तिथियों की सूचना बाद में दी जाएगी।

[पृष्ठ 13 का शेष[

दिल्ली में कामगार महिलाओं के 79 में से 68 बच्चे पढ़ रहे थे, जबकि बम्बई में ऐसी महिलाओं के कुल 45 बच्चों में से 39 किसी स्कूल में नहीं जा रहे थे। मद्रास में जरूर इन कामगार महिलाओं के बच्चों में से दो तिहाई से ज्यादा वास्तव में स्कूल में पढ़ रहे थे।

तीनों शहरों में जिन निर्माण स्थलों का अध्यन किया गया, उनमें से किसी में भी कार्यरत कोई भी महिला या पुरुष मजदूर किसी भी तरह की शिक्षा नहीं ग्रहण कर रहा था, और न उनमें से कोई भी किसी ट्रेड यूनियन का सदस्य था। महिला निर्माण मजदूरों में जागरूकता की भारी कमी देखने में आयी। और उनमें से ज्यादातर को 1948 के न्यूनतम मजदूरी कानून, 1976 के समान मजदूरी कानून जैसे महत्वपूर्ण कानूनों के लाभकारी प्रावधानों के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी।

सर्वे के दौरान जिन महिला निर्माण मजदूरों के बारे में जानकारियां इकट्ठी की गयीं, उनके परिवारों की प्रतिमाह औसत आय दिल्ली में 1061 रु० 61 पै० बंबई में 1179 रु० 94 पै० और मद्रास में 1032 रु० 54 पै० पायी गयी। इसके अलावा, चूंकि निर्माण मजदूरों को आम तौर पर साल में सात से आठ महीने तक ही काम मिलता है, इन परिवारों की वास्तविक औसत मासिक आय 700 से 800 रु० तक ही बैठेगी।

पढ़ें

कामकाजी महिला

(हिन्दी द्विमासिक पत्रिका)

कीमत : एक प्रति : 1 रुपया

वार्षिक चन्दा : 6 रुपये

अपनी प्रतियों के लिए हमें लिखें :

सी आई टी यू 6, ताल कटोरा रोड
नई दिल्ली-110001

सफदर हाशमी को श्रद्धांजलि

लड़ाई जारी रहेगी

हिंसा पर आधारित बुर्जुआ-सामंती व्यवस्था ने ठीक एक साल पहले हमें हमारी एक अमूल्य निधि सफदर हाशमी से वंचित कर दिया था। कहा जा सकता है कि अब वह हमारे बीच नहीं है। लेकिन यह धोखा है। क्यों कि जिन्दगी की जहालतों से लड़ने वालों, और मानवता को बेहतर समाज देने के लिए जरूरत पड़ने पर शहादत दे देने वालों तथा जिन्दगी के गीत गाने वालों का रिश्ता उस सामाजिक जिन्दगी से कोई नहीं तोड़ सकता। तथ्य तो यह है कि दुश्मनों ने जिस आवाज को एक साल पहले कुचलने की कोशिश की थी, इस मध्यांतर में और बुलंद हो गई है।

इस आवाज ने कलाकारों, चित्रकारों, लेखकों, बुद्धिजीवियों और राजनीतिक कार्यकर्त्ताओं को आंदोलित किया है, जो अब खुद से पूछ रहे हैं कि क्या उनकी आवाज को दबाने का ऐसा ही प्रयास किया जायगा, या ऐसे प्रयासों को मुंहतोड़ जवाब भी मिलेगा। बीता साल इस बात का गवाह है कि राजनीतिक कार्यकर्त्ताओं के साथ-साथ, कलाकारों की नित्य बढ़ती संख्या ने व्यवस्था की चुनौती स्वीकार किया है, और अपनी कला एवं कार्यों के माध्यम से जबर्दस्त घोषणा की है कि—वे अब ऐसा दुर्दांत कृत्य फिर से नहीं होने देंगे। "सफदर हाशमी" उसके दृढ़ उत्तर का ही दूसरा नाम है। सफदर की शहादत देश की सांस्कृतिक दुनिया और जनवादी जनता के लिए संकल्प का शब्द है।

शहादत दिवस पूरे देश में शानदार ढंग से मनाया गया।

दिल्ली की नर्सों का संघर्ष

लगभग तीन वर्षों की लम्बे चुप्पी के बाद दिल्ली की नर्सें एक बार फिर अपनी जरुरी मांगों को लेकर संघर्ष की राह पर निकल पड़ी हैं। 1987 में उनकी हड़ताल के अंत में भारत सरकार और नर्सों के बीच एक समझौता हुआ था। लेकिन समझौते के प्रावधान कागजों में ही पड़े रहे, जो नर्सों की समस्या के प्रति सरकार की उदासीनता का उदाहरण है। नर्सों की वर्दी भत्ता, धुलाई भत्ता और नर्सिंग भत्ते की वृद्धि के एवज में मात्र 300/- की वृद्धि दी गई। लेकिन इसके अलावा, समझौते का बड़ा हिस्सा लागू नहीं हुआ। 1987 के समझौते के अनुसार ये व्यवस्थाएँ भी थीं—

1. **नर्सों और नर्स पेशे पर उच्चस्तरीय कमेटी**—हलांकि मनमानी ढंग से, कुछ नौकरशाहों और दूसरों को लेकर एक कमेटी बनी, लेकिन 5 साल के बाद भी इस कमेटी के कार्यों का सुराग नही मिल पा रहा है। कमेटी में कोई भी वास्तविक ट्रेड यूनियन प्रतिनिधि शामिल नहीं किया गया था।

2. **काडर समीक्षा समिति**—नर्सों के लिए प्रोन्नति के कोई रास्ते नहीं खुले हैं। ऐसे मामले एक दो नहीं हैं कि वे सेवा संभालते ही सेवा-निवृत्त हो जाएँ। 1987 के फरवरी समझौते के तहत इस कमेटी को तीन महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करनी थी। लेकिन तीन साल बाद भी कमेटी गठित ही नहीं हुई है।

3. **अतिरिक्त कार्य भत्ता**—केन्द्रीय सरकार के दूसरे समूह जहां सप्ताह में 40 घंटे काम करते हैं, नर्सों को 52 घंटे या ज्यादा देना होता है। हलांकि सरकार ने अतिरिक्ति कार्य भत्ता की एक नई योजना बनाई थी, पर अभी तक इस मामले में कुछ हुआ नहीं है। नर्सों की समझ के बाहर की बात है कि वे मुफ्त में ज्यादा काम क्यों करें, जबकि उनका कार्य ज्यादा हड्डी तोड़ और तनावदायक है।

4. **विशेष वेतनमान**—कहा गया था कि नर्सों को चतुर्थ वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक विशेष वेतनमान दिया जाएगा। समझौते के इस प्रावधान को भी लागू किया जाना बाकी है।

शादीशुदा नर्सों के लिए पारिवारिक आवासों का न होना नर्सों की एक और गंभीर समस्या है। 20 साल से संघर्ष करते रहने के बावजूद नर्सों के लिए आवास-सुविधा मुहैय्या नहीं की जा सकी है चूंकि काफी अरसे से अस्पतालों में नर्सों के लिए क्वार्टर नहीं बनाए गए। दिल्ली में यह समस्या और गंभीर है और उन्हें अपने वेतन का बड़ा हिस्सा अस्पताल के नैकट्य में रहने के लिए देना पड़ता है।

राममनोहर लोहिया अस्पताल, सुचेता कृपलानी अस्पताल, जी. बी. पंत अस्पताल, लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल और दिल्ली की कई सी. जी. एच. एस. डिस्पेंसरियों की नर्सें पिछले दो महीने से शनिवार एवं रविवार को हड़ताल पर हैं। हड़ताल मुकम्मल है, जिससे अस्पतालों के सामान्य कामकाज में गंभीर खलल पहुंची है। 7.2.90 को उन्होंने प्रधानमंत्री निवास के आगे मोमबत्ती-प्रकाश-जुलूस निकाला। चूंकि प्रदर्शन के वक्त प्रधानमंत्री अपने निवास पर नहीं थे, उन्होंने 8.2.90 को उनसे मिलने का समय तय किया।

यह सच है कि राष्ट्रीय मोर्चा सरकार को पिछली कांग्रेस सरकार की श्रम विरोधी नीतियों के लिए लज्जित किया जा रहा है। लेकिन सरकार को फौरी कार्रवाई करने में झिझकना नहीं चाहिए और नर्सों की सभी जरूरी मांगों को तुरन्त मान लेना चाहिए।

अफगानिस्तान की रक्षा में महिलाओं की सक्रिय भूमिका

दि एसोसिएशन ऑफ इन्डियन वीमेन, पूर्वी शाखा की सचिव जोगिन्दर बैन्स ने यह रिपोर्ट भेजी है—

एसोसिएशन ऑफ इन्डियन वीमेन को दो महिला साथियों—जमीला शादान (इम्मेडिएट मेडिकल इंस्टीट्यूशन की अध्यक्षा) और वजीर अबारहान मीना (वीमेन कौंसिल ऑफ अफगानिस्तान की अध्यक्षा), जो रूढ़िवाद के खिलाफ और अफगानिस्तान में क्रांति के लिए लड़ रही हैं, से मिलने का अवसर मिला। अक्टूबर में वे दो सप्ताह की राजनीतिक यात्रा पर थीं। वे अफगानिस्तान युद्ध के अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था और नागरिकों पर प्रभाव के बारे में बता रही थीं। एसोसिएशन की सदस्याओं ने अफगानिस्तान की सामाजिक-राजनीतिक स्थिति पर निम्नांकित प्रश्न पूछे :...

प्रश्न०—ब्रिटेन की आपकी यात्रा का मकसद क्या है?

उ०—पश्चिमी देशों के संचार-माध्यम जानबूझकर अफगानिस्तान युद्ध की सच्चाई को तोड़-मरोड़कर पेश कर रहे हैं और मुजाहदीन विद्रोहियों की "वीरता" को महिमामंडित कर युद्ध की कहानियों को सनसनीखेज बनाकर पेश कर रहे हैं।

पश्चिमी पत्रकारों को बिना किसी अवरोध के देश के किसी भाग में घूमने की स्वतंत्रता है। लेकिन दुर्भाग्यवश पश्चिमी संचारमाध्यमों ने तथ्यों को सही-सही रिपोर्ट नहीं किया है। कुछ पत्रकार तो अपने देश में विक्टिमाइजेशन झेलने से डरे हुए हैं और कुछ अन्य अपने संगठनों के दर्शन के बोझ तले हैं। उदाहरण के तौर पर एक महिला पत्रकार ने वजीर अब्बारहाम मीना का इंटरव्यू लिया पर उसे प्रकाशित नहीं होने दिया गया। एक और इंटरव्यू युद्ध में खोये बच्चों की मांओं से बी० बी० सी० ने लिया था—पर इसे भी प्रसारित नहीं किया गया।

इसलिए, इस यात्रा का उद्देश्य है पाकिस्तान में क्रांतिकारी घटनाक्रमों के बारे में तथ्यों को उजागर करना और युद्ध के दुष्प्रभावों के बारे में बताकर ब्रिटेन के लोगों की चेतना में वृद्धि करना। हम ब्रिटिश राजनीतिक दल और आम जनता से भी समर्थन की उम्मीद रखते हैं।

प्र०—अफगानिस्तान में मुजाहदीनों के संदर्भ में राजनीतिक स्थिति क्या है ?

उ०—रूसी सेना की वापसी के वक्त पश्चिमी संसार ने भविष्यवाणी की कि मुजाहदीन जलालाबाद को तीन दिन के अन्दर कब्जे में कर लेंगे। पश्चिमी देशों के सभी दूतावास बन्द कर दिए गए और राजदूत अफगानिस्तान से वापस बुला लिए गए।

इस प्रचार के विपरीत, मुजाहदीन विद्रोहियों को अफगानी सेना ने परास्त कर दिया है, और वे अलग-थलग हो गए हैं। सेना में नित नए विद्रोही आ रहे हैं। मुजाहदीन अब आपस में ही उलझे छोटे-छोटे गुटों में बंट गये हैं। इस विभाजन ने विरोधी ताकत के रूप में उनकी शक्ति निश्चित तौर पर घटायी है। इन नेताओं का मुख्य उद्देश्य सरकार के मुख्य पदों पर कब्जा जमाना है। उन्हें जन-कल्याण से कोई लेना-देना नहीं।

युद्ध ने हमसे हमारे हजारों बहुमूल्य प्राण छीन लिये हैं और हमारी अर्थव्यवस्था बर्बाद कर दी है। अफगानी जनता इस त्रासद युद्ध का अंत कर अपनी अर्थव्यवस्था को फिर से बनाना चाहती है। हम अपने संसाधनों का उपयोग युद्ध में नहीं बल्कि लोगों के जीवन स्तर सुधारने में करना चाहेंगे। खेद है कि अमरीकी तथा दोस्त ब्रिटिश साम्राज्यवाद मुजाहिदीनों को युद्ध जारी रखने के लिये प्रोत्साहित कर रहा है और उनकी सहायता में कई मिलियन पाउंड की वृद्धि कर दी है तथा इन प्रति क्रांतिकारियों को अत्याधुनिक अस्त्रों से लैस कर रहा।

प्र०—पाकिस्तान के शरणार्थी शिविरों में रह रही महिला मुजहदीनों की स्थिति पर आप कुछ प्रकाश डाल सकेंगी ?

उ०—पाकिस्तान से लौटने वाले कुछ परिवारों ने कुछ भयानक कहानियां सुनाई हैं। शरणार्थी शिविरों में महिलाओं के साथ अनैतिक और अमानवीय व्यवहार किया जाता है। वे शोषित हैं, उन्हें शिक्षा, चिकित्सा आदि के मौलिक अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। उन्हें वीभत्स जिन्दगी जीने के लिये मजबूर किया जा रहा है

और कईयों को ये तथाकथित धार्मिक एजेंट सऊदी अरब के शेखों के हाथों बेच देते हैं।

प्र०—अफगानिस्तान सरकार ने महिलाओं की स्थिति खासकर शिक्षा और रोजगार के संदर्भ में क्या सुधार किये हैं ?

उ०—1979 से महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक तथा राजनीतिक स्थिति में काफी सुधार हुआ है। शिक्षा या रोजगार में उनके प्रति भेदभाव नहीं बरता जाता। शिक्षा सबों के लिये स्नातकोत्तर स्तर तक निःशुल्क है। उच्च शिक्षा में छात्रों का 60% महिलाएं हैं।

क्रांति के बाद शिक्षा में क्रमिक परिवर्तन लाए गए हैं। सहशिक्षा की शुरुआत की गई है और 15-17 वर्ष की आयु के अलावे अब एक आम प्रचलन बन गयी है। मुझे विश्वास है कि लोग इस विभेद को भी उखाड़ फेकेंगे।

जब ब्रिटिश मुसलमानों की एकलैंगिक शिक्षा की मांग की और उनका ध्यान आकृष्ट किया गया तो उन्होंने स्वीकार किया कि यह एक प्रतिगामी कदम है और इस बात का गवाह है कि ये धर्मांध महिलाओं को अर्द्धमानव और द्वितीय श्रेणी की नागरिक की तरह देखते हैं।

कामकाजी महिलाओं को भी साक्षात-पाठ्यक्रम अपनाने के लिये उत्साहित किया जा रहा है, काम के आधारों की परिधि में ही ऐसे प्रावधान सन्निहित हैं। शिक्षा के प्रति महिलाओं का दृष्टिकोण भी बदल रहा है। चूंकि उन्हें शिक्षा के लाभों के बारे में सचेत किया गया है, अब वे शिक्षित होने को काफी समुत्सुक हैं।

रोजगार

अफगानी औरतें बुर्के की पाबंदियां तोड़कर अब अमरीकी साम्राज्यवाद द्वारा उत्साहित प्रतिक्रांतिकारी युद्ध द्वारा विनष्ट अर्थव्यवस्था के पुनर्निमाण में अपने पुरुष साथियों का हाथ बंटा रही हैं। महिलाओं की बढ़ती संख्या उच्च पदों पर जा रही हैं और वे अपने पारंपरिक महिला भूमिका को छोड़ने के लिए दृढ़ हैं।

पुरुषों और महिलाओं को समान वेतन मिलता है। महिलाओं और बच्चों को, फैक्टरी या ऑफिस कहीं भी, पालने और किंडर गॉर्टन की सुविधाएं प्राप्त हैं। गर्भवती महिलाओं को तीन महीने की सवैतनिक छुट्टी मिलती है।

इन वर्षों में महिलाओं की कार्यस्थिति भी सुधरी है। 600 अफगानी प्रतिमाह से वेतन बढ़कर 2500 अफगानी हो गया है। इनके अलावे, उन्हें काम पर निःशुल्क योजना तथा सब्जी आदि के लिए कूपन दिया जाता है। बहुसंख्यक मजदूरों के पास अपने घर हैं और सरकारी आवासों में रहने वाले निम्न शुल्क ही देते हैं।

प्र०—क्या अफगानिस्तान की रक्षा में महिलाएं सक्रिय भूमिका अदा कर रही हैं ?

उ०—हां। उन्होंने रक्षा में एक प्रमुख भूमिका अदा की है। ये प्रतिरक्षा-शक्तियां तीन समूहों में विभक्त हैं—

(क) **आत्मरक्षा**—यहां महिलाएं अपनी और अपने पड़ोस के परिवारों की रक्षा सैनिक उपादानों की मदद से करती हैं।

(ख) **विद्रोहियों से मुठभेड़**—महिलाओं और पुरुषों के छोटे समूह (10-12 लोग) शत्रु क्षेत्र में घुसकर भू-खदान और फांसने के गड्ढे बनाते हैं।

(ग) **रष्ट्रीय सुरक्षा**—अपने पुरुष साथियों के साथ जलालाबाद की रक्षा की अग्रिम पंक्ति में 600 महिलाओं ने भाग लिया। अफगानिस्तान की सारी अवाम उनकी वीरता की प्रशंसा करता है।

प्र०—आज समाज महिलाओं की प्रगति को किस तरह देखता है ?

उ०—दुर्भाग्यवश समाज का दृष्टिकोण महिलाओं के प्रति ज्यादा नहीं बदला है। भूलना नहीं चाहिए कि ऐसी प्रवृतियां सदियों पुरानी जड़ों में बसी हुई हैं। इसलिए, समाजवादी विकास प्रक्रिया जो मात्र दस वर्ष पुरानी है, परिवर्तन के लिए एकदम पर्याप्त नहीं है। धर्म के तथा-कथित ठेकेदार (मुल्लाह आदि) अफगान के विकास से खासकर दुःखी हैं चूंकि वे अफगानिस्तान पर रूढ़िवादी मूल्य थोपना चाहते हैं, जिससे महिलाएं घरों तक सीमित रहे और विकास की प्रक्रिया में सक्रिय हिस्सेदारी नहीं कर पाएं। वे महिलाओं को उचित मौलिक अधिकारों से वंचित रखना चाहते हैं।

अफगान की सरकार महिलाओं को राजनीतिक एवं सामाजिक आर्थिक समता दिलाने के लिए कटिबद्ध है। इसका विश्वास है कि बिना महिला नागरिकों की मुक्ति के राष्ट्र प्रगति नहीं कर सकता।

वजीर अब्बारहाम मीना और जमीला शाहिने दोनों ने कहा कि वे इस हार्दिक स्वागत के लिए ब्रिटिश जनता को इस अवसर पर धन्यवाद देना चाहेंगी। वे खाली दिलों को लेकर आई थी, पर अब प्यार मुहब्बत से ओत-प्रोत होकर लौट रही हैं।

पाकिस्तानी महिलाओं को निराश करतीं बेनजीर

करीब एक साल पहले पाकिस्तानी चुनावों में बेनजीर की जीत ने आशावाद के एक नये युग की घोषणा की थी। अपेक्षाएं उमड़ पड़ी थीं। अन्य लोगों के अलावा, महिलाओं ने आशा की थी कि जिया-उल-हक की तानाशाही के 11 वर्षों में लाए गए महिला-विरोधी कानूनों के काले पक्षों को निरस्त करने के लिए वे नए कानूनों की शुरूआत करेंगी।

उनकी इस घोषणा के बावजूद कि वे प्रतिगामी कानूनों का हल ढूंढेंगी, सुश्री भुट्टो ने अभी तक कुछ भी नहीं किया है। पाकिस्तान में जनवाद की वापसी के बावजूद महिलाओं की स्थिति वैसी ही है। यद्यपि हालांकि जिया-उल-हक द्वारा थोपे गये इस्लामीकरण के नतीजे शहरी क्षेत्रों, जैसे लाहौर या करांची की गलियों में नहीं दीखते, जहां काफी महिलाएं बुर्के के बिना घूमती नजर आएंगी, उस अवधि के कानूनों ने पाकिस्तानी महिलाओं को रूढ़िवाद के कटघरे में सदा के लिए कैद कर दिया है।

महिला विरोधी कानून—फिर भी महिला-विरोधी कानूनों के खिलाफ अथक और खुल्लमखुल्ला लड़ाई लड़ने वाली कुछ महिलाएं बेनजीर के प्रधानमंत्रित्व में खामोश हैं। एक साल के बाद, इस सप्ताह, वीमेन्स एक्शन फोरम (डब्ल्यू ए. एफ.), 1981 में स्थापित जिया के कानूनों के विरुद्ध संघर्षरत महिलाओं का एक संयुक्त मंच, अपनी रणनीति तय करने के लिए कराची में मिल रहा है। वे बेनजीर पर दबाव डालकर उस जमीन को पुनः हासिल करना चाहेंगी, जो उन्होंने जियाशाही के दौरान खो दी थी।

डब्ल्यू. ए. एफ. सरीखी संस्था इतनी सुस्त क्यों रही जबकि पहले ही तीन महीनों में स्पष्ट हो गया था कि सुश्री भुट्टो अपनी सत्ता को खतरे में डालने या कठमुल्लों को भड़काने वाला कोई कदम नहीं उठाएंगीं?

लाहौर की कुछ महिला कार्यकर्ताओं के अनुसार कारण यह था कि वे उन्हें मौका देना चाहती थीं। उन्होंने कम से कम आमतौर पर स्वीकार किया था कि वे महिला-विरोधी कानूनों को वापस लेंगी। साथ ही, धर्माधारित व्यवस्था के तहत वर्षों के संघर्ष और विरोध के बाद, महिला-समूह थोड़ा चैन की सांस लेना चाहती थीं—उस मुक्त वातावरण का आनंद लेना चाहती थीं, जिसने पूरे देश में तंद्रिल आलस्य फैलाया।

एक वर्ष के भीतर ही, उन्होंने माना कि वे कुछ जल्द ही आराम करने बैठ गई थीं। उनके मूल्यांकन के अनुसार महिलाओं का मुद्दा बेनजीर की प्राथमिकता सूची में नीचे है। सुश्री भुट्टो के पास निम्न सदन में काम चलाऊ बहुमत और सिनेट में बहुमतहीन होने का बहाना भी है। इसलिए वह यह दावा कर सकती हैं कि वह संशोधन पारित करवाने की स्थिति में नहीं हैं।

जिन कानूनों से ये महिला समूह चिंतित हैं, और जिनका असफल पर दुर्धर्ष विरोध इन्होंने जियाशाही के दौरान किया था, वे 1985 के आठवें संशोधन के मुताबिक कानूनी कारर्वाही की चुनौती से बरी हो गए हैं, क्योंकि सशोधन ने सैनिक शासन द्वारा लागू किए गए कानूनों और अध्यादेशों को वैध करार दे दिया है।

इसका मतलब यह है कि दो कानून, जिससे महिलाएं कुप्रभावित हुई हैं—हुदूद अध्यादेश (1979), जो चोरी, नशेबाजी, व्याभिचार, बलात्कार और झूठे गवाहों से संबद्ध है, तथा प्रमाण का कानून (1984), जिसने 1872 के एविडेंस ऐक्ट की जगह ली, को चुनौती नहीं दी जा सकती।

पहला तो खास तौर पर भयानक है, जिना से संबद्ध होने की वजह से महिलाओं के लिए अत्याचारपरक है। इस प्रावधान के बल पर, बलात्कार अभियोग को सिद्ध न करने की वजह से 2000 महिलाओं को जेल में बन्द किया गया है और बाद में उन्हीं पर जिना का आरोप लगाया गया कि उन्होंने अपने पति के अलावे पर-पुरुषों से सहवास किया। इस प्रावधान को उन मामलों में भी प्रयोग में लाया जाता है, जहां माता-पिता के विरोध की वजह से लड़कियां गायब हो जाती हैं।

प्रमाण कानून भी अनुचित ढंग से महिलाओं पर भारी पड़ता है—वे शुरू करने से पहले ही दौड़ हार जाती हैं। दो या एक पुरुष तथा दो महिलाओं का सबूत किसी आपराधिक अभियोग को स्थापित करने के लिए जरूरी होता है। इसलिए, यदि कोई महिला एक पुरुष गवाह

नहीं खड़ा कर सकती, तो केस हारना उसकी नियति होगी।

महिला कार्यकर्मी महसूस करती हैं कि सुश्री भुट्टो को आठवें संशोधन की वापसी के प्रयास शुरूआत के महीनों में करने चाहिए थे, चूंकि तब देश का माहौल कुछ ऐसा था कि उनके विरोधी भी उनके लिए वोट देते। हालांकि यह सोच गलत हो सकती है लेकिन उनके इस विश्वास में दम है कि सुश्री भुट्टो को कुछ साहसिक कदम उठाने चाहिए थे ताकि उनके कुछ चुनावी वादे पूरे हो सकें।

आजकल स्थितियां और सुदृढ़ हो गई हैं और विपक्ष के व्यक्तिगत सदस्यों से सुश्री भुट्टो के लिए वोट करने की अपेक्षा निराधार है। इस अंतरिम में सुश्री भुट्टो ने अपने कई उन समर्थकों को भी खो दिया है जो शुरू में उनके साथ थे।

इस तरह अब भी जनवाद के आगमन के बावजूद और जियाशाही के कई प्रतिगामी पहलुओं के निरस्त्रीकरण के बावजूद (जैसे प्रेस और संचार नियंत्रण, आम प्रदर्शन आदि पर अंकुश), महिलाएं मुश्किल विकल्प झेल रही हैं।

कोई शक नहीं कि वे 11 वर्ष के जियाशासन की तुलना में इस राजनीतिक व्यवस्था को प्रश्रय देती हैं। और सामाजिक वातावरण की तब्दीली भी कुछ ऐसी हुई है कि महिला-विरोधी कानूनों के होने के बावजूद हाल में किसी महिला को इन प्रावधानों का शिकार नहीं बनाया गया है।

फिर भी, कानून तो हैं ही। यदि अगले चुनावों में सुश्री भुट्टो हार जाती हैं और उनके रूढ़िवादी विपक्षी सत्तासीन होते हैं, इन कानूनों को क्रियान्वित कर दिया जाएगा। इस स्थिति में लैंगिक समता की लड़ाई प्रारंभ भी नहीं हो सकती।

डब्ल्यू. ए. एफ. और दूसरे महिला समूहों के समक्ष दो विकल्प हैं—क्या वे इन कानूनों की वापसी के लिए आन्दोलन छेड़ें (हलांकि इसकी सफलता राजनीतिक तौर पर असंभव दीखती हैं), या क्या उन्हें छोड़े शांतिपूर्ण ढंग से अपना जनाधार बनाने में जुट जाना चाहिए, ताकि कभी बाद में वे परिवर्तन के लिए हस्तक्षेप कर सकें।

सरकार-प्रमुख—उन्होंने महसूस किया कि मात्र एक महिला के सरकार—एक जनवादी सरकार के प्रमुख हो जाने से महिलाओं की स्थिति स्वतः सुधर नहीं जाती। उनके सामने चुनौती मात्र इन कानूनों को बदलने की ही नहीं, उस विचारधारा में परिवर्तन की भी है जिससे ये कानून उपजते हैं। पिछले दशक में इस्लामीकरण के लिए किए गए प्रयासों ने महिलाओं के प्रति दमनकारी और नकारात्मक रवैये को सुदृढ़ किया है—इतना कि यदि महिलाएं अब तक बंद व्यवसायों में प्रवेश भी करती हैं, या पुरुषों की तुलना में अपनी समता सिद्ध करने की कोशिश करती हैं, उन्हें तुरन्त कई तरह से उनकी सामाजिक, गौण स्थिति के बारे में अवगत करा दिया जाता है। इसका एक उदाहरण निम्नांकित घटना है—भारत-पाकिस्तान पर्यावरण सम्मेलन की आम बहस में, जो पिछले सप्ताह लाहौर में समाप्त हुआ, यह सलाह दी गई कि महिलाओं को सामुदायिक फॉरेस्ट्री में नीति-निर्धारक भूमिकाएँ दी जानी चाहिएं चूंकि वे ईंधन और चारे के लिए जंगलों पर निर्भर करती हैं। "वे किस तरह निर्णय ले सकती हैं", एक पाकिस्तानी वनाधिकारी ने उछाला। "हम उन्हें हिस्सेदारी का अधिकार तो दे सकते हैं पर निर्णय हमारे ही हाथों होना चाहिए।" उसने जोर देकर कहा।

इन प्रवृतियों का विरोध और पर्दाफाश करना ही पाकिस्तानी महिला समूहों की मौजूदा चुनौती है।

नेल्सन मंडेला मुक्त

रंगभेदी और शोषक प्रिटोरिया शासन के खिलाफ अथक संघर्ष के प्रतीक नेल्सन मंडेला को 27 वर्ष की कैद के बाद रिहा कर दिया गया है। उनकी मुक्ति और अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस पर लगी पाबंदी के हटने को रंगभेदी शासन पर अंतिम विजय तो नहीं कहा जा सकता, पर निस्संदेह इससे जनवाद और मुक्ति की ताकतों को बल मिलेगा, जो अंतिम विजय के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा। हम महान नेता के इस कथन से पूर्ण सहमति व्यक्त करते हैं कि प्रिटोरिया शासन जबतक जनवादी विकल्प के आधार पर बनी गैर नस्लवादी शासन से विस्थापित नहीं हो जाता, रंगभेदी शासन के खिलाफ़ अंतर्राष्ट्रीय पाबंदियां जारी रहनी चाहिएं।

स्वतंत्रता की ओर बढ़ते इस कदम का स्वागत करते हुए हम भारतीय मजदूर वर्ग से अपने अफ्रीकी बंधुओं के संघर्ष में हाथ बंटाने की अपील करते हैं।

भारत एक है

हाल के चुनावों में
करोड़ों लोगों ने
अपने मताधिकार का प्रयोग किया।
संदेश स्पष्ट था।
जनता की इच्छा सर्वोपरि है।
फिर भी, कुछ भयानक, काली छायाएँ—
सांप्रदायिकता की,
फिरकापरस्ती की और
संकीर्णतावाद की—
अभी भी डोलती हैं।
क्या हमारा राष्ट्र
बिखर कर रह जाएगा ?
भारत एक है :
आइए महसूस करें।

—पश्चिम बंगाल सरकार

जापान में कामकाजी महिलाओं की स्थिति

जापान में कामकाजी महिलाओं की संख्या बढ़कर 16,150,000 यानि पूरे देश की 36% हो गई है। फिर भी, एल.डी.पी सरकार और एकपूंजीवाद के आक्रमण तले उनकी स्थिति निम्नलिखित समस्याओं से ग्रस्त है—

1. 1975 में लेबर स्टैंडर्ड लॉ में परिवर्तनों के बाद के घंटे, विलंब रात्रि कार्य, जोखिम भरी सेवाओं में नियुक्ति आदि से संबद्ध कानून काफी हद तक ढीले हुए थे। 1988 में, लचीली कार्य सारणी के लागू होने के बाद महिलाओं की कार्यस्थिति द्रुत गति से बिगड़ने लगी। स्वास्थ्यकर्मी जो देर रात के कामों से बच नहीं सकतीं, नर्सों की भारी कमी की वजह से, सरकार द्वारा रात्रि शिफ्ट (8 से ज्यादा नहीं, और कम से कम 2 लोग की टीम) पर लगाया गया नियम उठा लिया गया। उनके अनुसार करीब 60 प्रतिशत महिलाएं "हमेशा थकावट महसूस करती हैं", काम की अधिकता से आकस्मिक मौतें बढ़ गई हैं, और गर्भपात तथा अन्य असामान्य गड़बड़ियां बराबर होती रहती हैं। बच्चे की पैदाइश के कुल मामलों में 70 प्रतिशत अब 'असामान्य' ढंग से हो रहे हैं।

इसके अलावा, नई तकनीक के इस्तेमाल के बाद, हरेक उद्योग में कंप्यूटर और वी.डी.आई. का प्रयोग बढ़ रहा है, जिसे नई व्यावसायिक बीमारियां जैसे—दृष्टि क्षमता में गड़बड़ी, कंधे, गर्दन, बांह या मानसिक तनाव की बीमारियां आदि पैदा हो रही हैं।

2. कामकाजी महिलाओं के समता के लिए संघर्ष के फलस्वरूप 1985 में "समान रोजगार अवसर कानून" बनाया गया और महिलाओं के प्रति भेदभाव को दूर करने के राष्ट्रसंघीय अधिवेशन के प्रस्ताव को मान्यता दी गई, फिर भी लैंगिक भेद अभी भी जापानी कामकाजी महिलाओं की एक महान समस्या है। बड़ी कंपनियों ने पर्सनेल मैनेजमेंट सिस्टम जो हर श्रमिक की क्षमता पर आधारित है—को अपनाया है : कामकाजी महिलाओं को विभिन्न वेतन और स्थिति देकर, विभिन्न 'समूहों' में रखा गया है—और विदेश में स्थानांतरण स्वीकार करने पर, या दूर दराज की नौकरी स्वीकार करने पर उन्हें अच्छे वेतन और बेहतर स्थिति प्रदान की जाती है। और चूंकि ज्यादातर महिलाओं के लिए स्थानांतरण स्वीकार करना मुश्किल होता है—उन्हें वेतन, प्रोन्नति तथा दूसरी कार्यस्थितियों के मामले में विक्टिमाइजेशन और भेदपरक व्यवहार झेलती हैं।

ईरान की महिला राजनीतिक बंदियों को रिहा करो

ईरानी जेलों में 18 महिला राजनीतिक बंदी कई वर्षों से सड़ रही हैं, उन पर ईरान सरकार के सतही आरोप हैं, तथा उनको कभी भी फांसी पर झुलाया जा सकता है। निम्नांकित समाचार अंश "तुदेह समाचार" में छपा था, जिसे हम पाठकों से इस आग्रह के साथ छाप रहे हैं कि वे निचले पते पर मानवाधिकार आयोग से फौरी हस्तक्षेप के लिए पत्र लिखकर निवेदन करें—मानवाधिकार आयोग, संयुक्त राष्ट्रसंघ, पलाई डी० ई० एस० नेशन्स, 1211, जेनेवा, स्विट्जरलैंड—संपादिका।

18 राजनीतिक बंदियों के प्राणों को गंभीर खतरा

जेल सुरक्षा कर्मियों ने हाल में 18 महिला कैदियों को बाकी से अलग कर लिया। यह कारंवाई पिछली गर्मियों में "राष्ट्रीय त्रासदी" से पहले घटी घटनाओं की याद दिलाते हैं। गौरतलब बात यह है कि यह अलगाव बदनाम कसाई इविन प्रिजन को जेल-विभाग का मुख्याधिकारी नियुक्त करने के बाद हुआ है।

रिपोर्टों के अनुसार महिला कैदियों से जबर्दस्ती अपराध करवाने के लिए उन्हें भयंकर शारीरिक एवं मानसिक यातनाएं दी जा रही हैं। इनकी जानों को गंभीर संकट आ पड़ा है। जेल सुरक्षा कर्मियों और निर्णायकों का व्यवहार मौलिक कानूनी व्यवहारों और प्रगतिवादी मानवतावाद के सिद्धांतों से स्वतंत्र है। हम इस अमानवीयता की निंदा करते हैं और तमाम जनवादी ताकतों से आग्रह करते हैं कि वे इस षडयंत्र का विरोध करें और इस्लामी गणराज्य में चल रही नृशंसता के बारे में विश्व जनमत को बताएं।

हम तमाम प्रगतिवादी ताकतों से अपील करते हैं कि वे इन राजनीतिक बंदियों के प्राणों की रक्षा के जरूरी और संयुक्त अभियान में हमारा साथ दें।

भारतीय कमेटी ने विरोध जताया

ईरान में मानवाधिकारों की रक्षा से संबंधित भारतीय कमेटी के अध्यक्ष वी० आई० कृष्ण अय्यर ने, ईरान की जेलों में बंद 83 महिला राजनीतिक बंदियों के प्राणों के लिए खतरे पर गहरी चिंता व्यक्त की है और ईरान के इस्लामी गणराज्य के अधिकारियों से अपील की है कि

राजनीतिक बंदियों, खासकर महिला राजनीतिक बंदियों, के उत्पीड़न तथा उन्हें फांसियां दिए जाने से रोकें और तमाम बंदियों को जल्द रिहा करें।

इस वक्तव्य की प्रतियां संयुक्त राष्ट्रसंघ के महासचिव, एमनेस्टी इंटरनेशनल तथा ईरान के इस्लामी गणराज्य के राष्ट्रपति को भेजी गई है।

[पृष्ठ 1 का शेष]

जीवन कम्युनिस्ट आंदोलन को अर्पित कर दिया। कनक मुखर्जी इन दिनों पार्टी की केंद्रीय कमेटी की सदस्य हैं।

ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष के दौरान उन्हें कुल मिलाकर छः साल की जेल हुई और आजादी के बाद भी उन्हें पाँच साल जेल में रहना पड़ा। उन्होंने पाँच साल तक भूमिगत रहकर काम किया।

1971 से 1977 के दौरान वह लोकसभा के सदस्य रहे।

पार्टी के भीतर आंतरिक संघर्ष के दौरान मार्क्सवाद-लेनिनवाद की रक्षा के लिए उन्होंने संशोधनवाद के खिलाफ दृढ़ रवैया अपनाया। जब वामपंथी संकीर्णतावादी भटकाव ने प० बंगाल में पार्टी को छिन्न-भिन्न करने की कोशिश की, तो उन्होंने पार्टी और मार्क्सवादी-लेनिनवादी लाइन की रक्षा की और दुस्साहसी तत्वों को अलग-थलग डालने में भारी योगदान दिया।

1982 में कामरेड प्रमोद दास गुप्त के निधन के बाद उन्होंने प० बंगाल राज्य कमेटी के सचिव का पद ग्रहण किया और खराब स्वास्थ्य के बावजूद, अंत तक इस दायित्व को पूरी निष्ठा के साथ निभाते रहे।

1972 में दसवीं कांग्रेस में उन्हें पार्टी की केंद्रीय कमेटी के लिए चुना गया। इसके बाद 1985 में बारहवीं पार्टी कांग्रेस में वह पोलिट ब्यूरो के सदस्य चुन लिए गये। दिसंबर 1988 में संपन्न तेरहवीं कांग्रेस में वह केंद्रीय कमेटी और पोलिट ब्यूरो के लिए फिर चुने गये।

पं० बंगाल में पार्टी के अखबारों के विकास में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही है। 1956 से 1962 के दौरान वह 'स्वाधीनता दैनिक' के संपादक रहे, 1964 से वह सी पी आइ (एम) के साप्ताहिक 'गणशक्ति' के संपादक रहे। मार्क्सवाद-लेनिनवाद तथा पार्टी की नीतियों के प्रचार-के लिए उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखीं और अनेक पैंफ्लेट तैयार किये।

[पृष्ठ 2 का शेष]

सबसे पहले बात होनी चाहिए। जब यह बात एकमत से स्वीकार कर ली गई, तो श्री सेठी ने इस संदर्भ में कानूनी प्रावधान के बारे में जानना चाहा। उपस्थित तीनों अधिवक्ताओं ने अपने वक्तव्य दिए। एड्वा की ओर से सुशीला गोपालन और वृन्दा करात बोलीं और एक सर्वसम्मति उभरी कि संवैधानिक आधार होने से आयोग के पास वाकई कुछ ताकत होगी (जो कि आवश्यक संवैधानिक संशोधन के बाद होगा), लेकिन चूंकि प्रक्रिया में कुछ और वक्त लगेगा, संसद में एक कानून पारित किया जाएगा।

इसके बाद बहस का मुद्दा कार्यपद्धति था और इस जीवंत बहस में सभी संगठनों ने हिस्सा लिया। बहस के ज्यादातर मुद्दे एड्वा द्वारा जारी नोट में थे। कीर्ति सिंह ने पूछा कि आम मांग के आधार पर यदि आयोग के पास खोजबीन की शक्ति होगी तो क्या इसके पास कानूनी कार्रवाई शुरू करने की ताकत भी होगी। इस पर मतैक्य नहीं था। सुशीला गोपालन ने कहा कि कमीशन को एक कानूनी सहायता समिति बनाकर छोड़ नहीं दिया जाना चाहिए, और कई उनसे सहमत हुई। फिर भी, कुछ ऐसे विशेष मामले, जहां सरकार ही महिला अधिकारों के उल्लंघन की दोषी हो तो इस बात पर बात होनी चाहिए कि आयोग कानूनी कार्रवाई शुरू कर सकता है अथवा नहीं। आयोग की संरचना पर बहस के बाद आम सहमति हुई कि 3-5 व्यक्तियों का एक समूह पूरे समय में, महिला, खेतिहर और दूसरे संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ कार्य करे।

सुश्री ईला भट्ट के भाषण, जिसमें उन्होंने श्रम शक्ति रिपोर्ट तैयार करने के दौरान अर्जित अनुभवों का किस्सा सुनाया, के बाद संबद्ध मंत्रालय सदस्या सुश्री मीरा सेठ ने बहस पर समापन भाषण दिया। उन्होंने सभा को आश्वस्त किया कि वह अपने कैबिनेट रिपोर्ट में सभा में उभरी तमाम सलाह एवं अनुशंसाएं दर्ज करेंगी। आशा की जाती है कि कैबिनेट आयोग पर निकट भविष्य में ही फैसला लेगा।

ए आइ सी सी डब्ल्यू डब्ल्यू उन्हें गहरी श्रद्धांजलि अर्पित करती है और उनकी पत्नी कामरेड कनक मुखर्जी, उनके पुत्र तथा परिवार के अन्य सदस्यों के साथ हार्दिक संवेदना का इजहार करती है।